प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी/
वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पौडी गढवाल ।

सेवा में

नोडल अधिकारी/प्रायोजना निदेशक, **(पंजीकृत)**
पशु पालन विभाग,
केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश ।

संख्या /सू0अ0अ0–2005/2017–18/ दिनांक जून, 2017

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम–2005 का वर्ष 2016–17 का मैनुअल का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपकी सेवा मे वर्ष 2016–17 का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मैनुवल तैयार कर श्री पवन देव भट्ट, कनिष्ठ सहायक मुख्यालय, के माध्यम से एक प्रति सी0डी0 सहित सेवा मे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा हैं ।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी/
वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पौडी गढवाल।

संख्या /दिनाकिंत

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– श्री पवन देव भट्ट, कनिष्ठ सहायक मुख्यालय, को इस आशय से कि उक्त सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मैनुवल नोडल अधिकारी, पशु पालन विभाग, पशुलोक देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

2– लोक सूचना अधिकारी/प्रायोजना निदेशक, लघु पशु विकास गढवाल मण्डल पौडी ।

लोक सूचना अधिकारी/
वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पौडी गढवाल

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

17 मैनुअलों का संग्रह

कार्यालय
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
पौड़ी

वर्ष : 2016 – 2017

मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

2–1–उददेश्य पशु पालन विभाग का मुख्य उददेश्य पशुओं मे नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन को बढावा देना। उन्नत नस्ल के सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को बढावा देना है। नैसर्गिक अभिजनन द्वारा उन्नत नस्ल के गाय/भैसा साण्डों के द्वारा अच्छी नस्ल के पशुओं को बढावा देना मुख्य उददेश्य हैं भेडों के द्वारा अच्छी नस्ल की ऊुन का उत्पादन करना हैं।

जनपद पौडी गढवाल मे पशु पालन विभाग से सम्बन्धित विभागीय संस्थायें

1–पशु चिकित्सालय	40
2–पशु सेवा केन्द्र	67
3–कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	65
4–भैड एवं ऊन केन्द्र	08

मुख्य पशु चिकितसाधिकारी पौडी के अधीन संस्थावों का विवरण निम्नवत हैं

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	पशु चिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	भेड एवं मेढ़ा केन्द्र	सियरिंग सेन्टर
1–	पौडी	पौडी डडुवादेवी	अमकोटी परसुन्डाखाल खाण्ड्यूसैण सत्यखाल पिसोली घटगौला	पौडी डडुवादेवी खाण्ड्यूसैण परसुन्डाखाल सत्यखाल	–	
2–	खिर्स	खिर्सू श्रीनगर देवलगढ	पोखरी ढामकेश्वर चमधार	श्रीनगर खिर्सू चमधार	पिठुन्डीखाल	
3–	कोट	कोट कमलपुर घुसगली	दोन्दल बहेडाखाल घिण्डवाडा बसन्तपुर जामलाखाल देहलचौरी सबदरखाल	कोट जामलाखाल सबदरखाल		
4–	पावौ	पावौ	सीकू चिपलघाट चोपडयूँ पोखरीखेत	पाबौ		
5–	कल्जीखाल	कल्जीखाल सरोडा–मरोडा	अगरोडा सूला किनगोडीखाल घण्डियाल	कल्जीखाल अगरोडा घण्डियाल सरोडा–मरोडा		
6–	जयहरीखाल	जयहरीखाल	ढौडियाल दुधारखाल अधरियाखाल	जयहरीखाल		
7–	पोखडा	पोखडा	गवाणी देवराजखाल दान्था कुणजखाल	पोखडा	गेहूँलाड	

8—	एकेश्वर	एकेश्वर रीठाखाल सतपाली अमोटा	श्रीकोटखाल किर्खू संगलाकोटी नौगावखाल अमोठा	अमोठा नौगावखाल संगलाकोटी एकेश्वर रीठाखाल		
9—	रिखणीखाल	रिखणीखाल कोटलीसैण बुलेखाखाल	किल्बोखाल अंगनीसैण मज्याणीसैण नौदानू बसडा	कोटलीसैण रिखणीखाल वसडा		
10—	द्वारीखाल	चैलूसैण काण्डाखाल डाडामण्डी सतपुली कठूडवडा	ग्वील देवीखेत सुमेरूसैण पाली	सतपुली काण्डाखाल डाडामण्डी चैलूसैंण		
11—	यमकेश्वर	यमकेश्वर थलनदी मोहनचटटी अमोला	आमसैण सार गंगाभोगपुर धारकोट	थलनदी मोहनचट्टी गंगाभोगपुर यमकेश्वर		
12—	दुगड्डा	दुगड्डा कोटद्वार कलालघाटी कालागढ	रामणी पौखाल सनेह सिगड्डी कृ0ग0कोटद्वार मोटाढाक	दुगड्डा कोटद्वार कलालघाटी सनेह सिग्गडी कृ0ग0कोटद्वार		
13—	थलीसैण	थलीसैण चाकीसैण कल्याणखाल	बूंगीधार बसोलागाड चौरीखाल बगैली तरपालीसैण	थलीसैंण बूंगीधार	जाखगांव पीरसैण जखोलाताल रिस्ती	
14—	नैनीडाडा	नैनीडाडा धुमाकोट	हल्दूखाल सल्डमहादेव भौन दिगोलीखाल	नैनीडाडा धुमाकोट सल्डमहादेव	धुमाकोट	
15—	बीरोंखाल	बीरोंखाल कोलादरिया चौखाल	बैजरो दुनाउ मैठाणाघाट भरोलीखाल	बीरोखाल कोलादरिया	चोपताखाल	

2–2 संगठन का मिशन

जनपद में भेड,बकरी,गाय,भैंस में उन्नत नस्ल को विकसित करके जनपद के पशुपालकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु।

2–3–संगठन के कर्तव्य– पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन देना,तथा पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा नस्ल सुधारने हेतु निःशुल्क गाय/भैंसा सांडों का वितरण करना हैं। साथ ही जनपद के पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक जॉच कर रोग के निदान हेतु मार्ग दर्शन कराना है।

2–4–संगठन के मुख्य कृत्य – पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में परम्परागत रूप से किया जाता है। विभाग का मुख्य कृत्य पशुपालकों की पशुओं में नस्ल सुधार करना तथा दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है व पशुओं के रोगों का निदान की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है।

2–5–संगठन द्वारा प्रदत सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण – पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को चिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, बधियाकरण आदि की सुविधायें प्रदान करना तथा विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के गाय/भैंसा सांड, मेढा वितरण करना है।

2–6–संगठन का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग– पशुपालन विभाग का मुख्य उददेश्य पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करना है उत्तम नस्ल को बढावा देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि जीवन स्तर में सुधार हो सके। उत्तरांचल लाइवस्टाक डेबलपमैन्ट बोर्ड के माध्यम से विभागीय संस्थाओं के पशुपालकोको उत्तम नस्ल के सांड वितरित कर पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान,बधियाकरण आदि सुविधायें प्रदान करना है।

2–7– संगठनात्क ढांचा–

1– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
2– मुख्य सहायक
3– प्रवर सहायक
4– सहायक लेखाकार
5– कनिष्ठ सहायक
6– अन्वेशक कम संगणक
7– चारा सहायक
8– प्रयोगशाला सहायक
9– जीप चालक
10–पत्रवाहक

2–8– विभाग की कार्यक्षमता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाये–

1– पशुओं में रोगो की रोकथाम हेतु समय–समय पर टीकाकरण,चिकित्सा,दवापान,दवास्नान कराना ।
2– बमिार पशुओं का समय पर उपचार करना।
3– समय–समय पर वाहय अन्तः परजीवी हेतु दवास्नान/दवापान कराना।
4– नस्ल सुधार हेतु अच्छी नस्ल के सांडों से प्रजनन कराना

2–9–जन सहयोग सुनिशिचित करने के लिए विधि –व्यवस्था–

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के माध्यम से प्रचार/प्रसार करके जन सहयोग प्रदान करना।

2–10– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं सिकायतों के निराकरण की व्यवस्था –

<u>मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय पौडी पर स्वीकृत पद तथा शासनादेश का विवरण</u> :–

क्र0 स0	योजना का नाम	श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	शासनादेश का विवरण
1	03–निदेशन तथा प्रशासन	द्वितीय	मु0प0चि0अ0	01	395 / ग्–11–ई–22(5) / 63 दिनांक 18.03.56
		तृतीय	क0लि0	02	तदैव
		चतुर्थ	अर्दली	01	तदैव
2	प्रशासनिक ढाचें का सुदृढीकरण	तृतीय	स0ले0	01	4523 / 28.08.86 दिनांक 26.03.87
			व0स0	01	तदैव
			कैशियर	01	तदैव
		चतुर्थ	चौकीदार	01	950 / 22–अ–77 दिनांक 05.07.77
3	14–जिला मण्डल तथा अपर निदेशालय स्तर पर स्पेशल कम्पोनेंट की स्थापना	तृतीय	व0स0	01	2510 / 26.8.86 –2 / 56–प दिनांक 01.12.86
		तृतीय	क0लि0	01	तदैव
		चतुर्थ	चपरासी	01	तदैव
4	09–दुग्ध आच्छादित क्षेत्रों में पशुओं के प्रजनन की सुविधा	तृतीय	चालक	02	1726 / 28.08.91–2(130)–प / 86 दिनांक 08.10.91
	द0 श्रेणी पशचिकित्सालय	तृतीय	ड्रेसर	01	1410 / 28.08.02 / 23–प / 74
5	03–पशचिकित्सालय एवं औषधालय	तृतीय	मु0वे0फा0	01	4361–28–08–प दिनांक 26.09.84
6	02–नये पशुचिकित्सालयों की स्थापना	द्वितीय	प0चि0अ0	04	1760 / 28–8–92–2 / 132–प / 91 दिनांक 22.09.92
		तृतीय	वे0फा0	04	तदैव
		चतुर्थ	चतुर्थ श्रेणी	08	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	04	4139 / 28–6–90–2 / 131–प–90 दिनांक 30.03.91
		तृतीय	वे0फा0	04	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	08	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	04	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	01	451 / 28–8–2 / 18–प / 80 दिनांक 07–02–81
		तृतीय	वे0फा0	01	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	02	तदेव
7	06–कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार	द्वितीय	प0चि0अ0	01	426 / 28–8–दो / 47–प / 76 दिनाक 10–03–76
		तृतीय	प्र0स0	01	तदैव
			चारा पर्यवेक्षक	01	तदैव

			वाहन चालक	01	तदैव
			प0प्र0अ0	01	तदैव
8	03—पशुचिकित्सालय एवं औषधालय	द्वितीय	प0चि0अ0	02	5097 / 28—8—67—02 / 34—प / 87 दिनांक 18—03—88
		तृतीय	वे0फा0	02	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	04	2083 / 26—6—96—2 / 132—प—85 दिनाक 17.09.86
		तृतीय	वे0फा0	04	तदैव
		चतुर्थ	च0श्रे0	08	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	04	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	01	451 / 28—8—2 / 18—प / 86 दिनांक 07—2—81
		तृतीय	वे0फा0	01	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	01	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	04	3612 / 28—8—85—2 / 132—प दिनांक 07—1—86
		तृतीय	वे0फा0	04	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	08	तदेव
		सफाई नायक	स0ना0	04	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	01	880 / 12—ई—509—1 / 17 दिनांक 6—4—59
		तृतीय	वे0फा0	01	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	02	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	01	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	02	514 / 28—8—2 / 20—प / 81 दिनांक 18—2—82
		तृतीय	वे0फा0	02	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	04	तदैव
9	भेड एवं ऊन विकास	तृतीय	प0प्र0अ0	01	2828 / सी—2 / 4 दिनांक 25—5—64
		चतुर्थ	अनवाल	02	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	01	1467 / 28—8—89 / 2—110—प / 85 दिनांक 4—5—89
		चतुर्थ श्रेणी	मुख्य अनवाल	01	तदैव
			अनवाल	02	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	01	1139 / 28—8—2 / 110—प / 85 दिनाक 28—4—86

		चतुर्थ श्रेणी	अनवाल	02	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	03	4679 / 28–8–2 / 47–प / 82 दिनांक 18–3–83
		चतुर्थ	अनवाल	06	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	02	3393 / 28–8–2 / 110–प / 84 दिनांक 26–9–84
		चतुर्थ श्रेणी	अनवाल	04	तदैव
10	पशुचिकित्सालय एवं औषधालय	तृतीय	प0प्र0अ0	03	2612–28–3–85 / 2–132–प / 85 दिनाक 7–1–86
		तृतीय	प0प्र0अ0	02	1017 / 28–8–2 / 39–प / 82 दिनांक 22–1–83
		तृतीय	प0प्र0अ0	03	4142 / 26–8–2 / 18–प / 76 दिनांक 19–2–77
		तृतीय	प0प्र0अ0	02	1878 / 28–8–2 / 18–प / 76 दिनाक 28–11–77
		तृतीय	प0प्र0अ0	10	2418 / 28–8–2 / 132–प दिनांक 26–9–94
11	07–प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों मे नैसर्गिक अभिजनन केद्रों की स्थापना	तृतीय	प0प्र0अ0	–	1335 / 28–8–2 / 29–प / 80 दिनाक 8–4–81
		चतुर्थ श्रेणी	साण्ड सेवक	04	तदैव
			साण्ड सेवक	03	2341 / 28–8–2–22–प / 87 दिनाक 1–1–89
			साण्ड सेवक	03	5103 / 28–8–87–2–42–प दिनोंक 2–11–88
			साण्ड सेवक	02	3534 / 28–8–2–20–प / 85 दिनाक 23–1–86
			साण्ड सेवक	04	2080 / 28–8–86 / 22–प / 85 दिनांक 18–9–86
12	पशुचिकित्सालयों एवं औषधालयों	द्वितीय	प0चि0अ0	10	सामुदायिक विकास योजना अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर स्वीकृत
		तृतीय	वे0फा0	10	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	20	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	01	तदैव
13	पशुधन उत्पादन एवं साख्यिकी	तृतीय	अनुवेशक कम संगणक	01	300 / 12–ई–40 / 26 / 70 दिनांक 01–4–70

मैनुअल – 2
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य–

पद नाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	कर्तव्य
पशुधन प्रसार अधिकारी	—	—	—	प्रचार प्रसार तथा योजनावों का क्रियान्वयन
पशु चिकित्साधिकारी	—	—	—	कार्यक्रम क्रियान्वयन
मु0प0चि0अ0	प्रशासकीय	वित्तीय	—	मु0प0चि0अ0 4440 —7440 ग्रेड़ वेतन 1300,1650 5200—20200 ग्रेड़ वेतन 1900,2000,2400,2800 9300—34800 ग्रेड़ वेतन 4200,4600,4800, 15600—39100, ग्रेड़ वेतन 6660, से नीचे वेतनमान, पा रहे अधि0/कर्मचारियों के पूर्ण रूपेण अधीनस्थ संस्था के नियन्त्रण अधिकारीहैं।सभी अधि0/कर्म0के वेतन आहरण करना, वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृति करना, समयमान वेतनमान स्वीकृत के प्रस्ताव उच्च स्तर से अनुपोदन की स्वीकृति प्राप्त करना,लघु एवं दीर्घ दण्ड, कमेटी कि संस्तुति पर देना तथा आकस्मिक अवकास स्वीकृत करना तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करना। 2. वित्तीय अधिकार — 15000 तक के किसी भी सामग्री के क्रय का अधिकार बिना कोटेशन प्राप्त के कर सकते हैं। 3. रू0 15000 से उपर रू0 1,00000 तक कि सामग्री को क्रय हेतु तीन या उससे अधिक फर्मो से कोटेशन प्राप्त कर खोलने के उपरान्त कम्परेटिव चार्ट तैयार कर क्रय के अधिकार। 4. रू0 1,00000 से अधिक की सामग्री के क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित कर क्रय का अधिकार। 5. रू0 1,00000 से उपर अपर निदेसक/सासन की स्वीकृति के उपरान्त क्रय के अधिकार। 6. जी0पी0एफ0 आहरण का

				अधिकार – अपने कर्मचारियों/ अधिकारियों का तीन माह के मूल वेतन के बराबर की धनरासि आहरित कर भुगतान का अधिकार। यदि सम्बन्धित के खाते मे धनराशि उपलब्ध है। उपरोक्त से अधिक धनरासि मागे जाने पर उच्च अधिकारियों को अग्रसारित करना।

विभागीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर मुख्य पषु चिकित्साधिकारी तथा पशुचिकित्सालयों हेतु पशुचिकित्साधिकारी के पद सृजित है,तथा जनपद मुख्यालय एवं पशुचिकित्सालयों के लिये सृजित पदों के पद धारकों के अधिकार एवं कर्तब्य निम्नवत् है।

(1)मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद में संचालित हो रही विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन हेतु उत्तरदायित्व होता है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद में कार्यरत समस्त कार्मिको पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण रखना है। विभागीय योजनाओ के संचालन के क्रियान्वयन हेतु शासन से आबंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का है व विभागीय संस्थाओ का सामयिक निरीक्षण व अभिलेखों का उचित रखरखाव भी करना है।

2–पशुचिकित्साधिकारी

पशुचिकित्साधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्रान्तर्गत पशुनस्ल सुधार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना,पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत संचालित योजनाओ का क्रियान्वयन अनुश्रवण करना,क्षेत्रान्तर्गत फेलने वाले रोगो की रोकथाम हेतु टीकाकरण करना साथ पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियो पर प्रषासनिक नियन्त्रण रखना है। पशुचिकित्साधिकारियो का यह भी दायित्व होता है कि वह विभिन्न योजनाओ के अर्न्तगत क्रय किये जाने वाले पशुओ के स्वास्थ्य की जॉच कर उनके सम्बन्ध में स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करे,पशु वधषालाओ में वध किये जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की जॉच करना भी पशुचिकित्साधिकारी के कर्तव्यों में आता है। पशुचिकित्सालय व पशुसेवा केन्द्रों के भण्डार के वार्शिक सत्यापन व अभिलेखो का रखरखाव करना।

3–पशुधन प्रसार अधिकारी

पशुधन प्रसार अधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्रान्तर्गत पशु नस्ल सुधार ,टीकाकरण, चिकित्सा, बधियाकरण एवं चारा बीज वितरण का है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ का प्रचार–प्रसार कर पशुपालकों को विभागीय योजनाओ की जानकारी देते हुए उन्हें विभागीय योजनाओ के प्रति प्रेरित करना है। पशुधन प्रसार अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह क्षेत्र में फेलने वाले संक्रामक रोगो की रोकथाम हेतु समय–समय पर टीकाकरण करें और पशुओं में यदि कोई गम्भीर बीमारी फेली हो तो उससे उच्चाधिकारियो को अवगत करावें। पशुसेवा केन्द्र पर किये जाने वाले कार्यो की पंजिका का रखरखाव करना।

4–पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट

पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट का मुख्य कार्य पशुचिकित्सालय स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों का रखरखाव,पशुपालकों को पशुचिकित्साधिकारी द्वारा बताये गये नुख्षे के अनुसार बीमार पशुओं के उपचार हेतु दवा वितरण,बीमार पशुओं की ड्रेसिंग करना है।

5–ड्रेसर

पशुचिकित्सालय में आने वाले बीमार पशुओं की ड्रैसिंग एवं बीमार पशुओं के उपचार में पशुचिकित्साक की सहायता करना।

6–वाहन चालक

वाहन का रखरखाव करना ।

7–अनुसेवक

पशुचिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार पशुचिकित्सालय में आने वाले बीमार पशु की देखरेख करना व पशुचिकित्सालय की व्यवस्था में सहयोग करना ।

8– चारा विकास अधिकारी

चारा विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत चारा बीज वितरण,चारा प्रदर्शन कराना,उन्नत नस्ल की घास की जडो का वितरण कराना व चारा विकास कार्यक्रम मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी को आवष्यक सहयोग देना तथा विभिन्न पशुचिकित्सालयो में चारा प्रदर्षन कराकर पशुपालकों को चारा विकास कार्यक्रम अपनाये जाने हेतु प्रेरित करना ।

9–अन्वेषक

जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओ से सम्बन्धित ऑकडो का संकलन करना,पशुगणना सम्बन्धी ऑकडो का संकलित करना है ।

10–लिपिक वर्गीय कर्मचारी

जनपद स्तरीय कार्यालय में लिपिक वर्ग के विभिन्न पद धारक होते है जिन्हें पृथक–पृथक कार्य सौपा जाता है यथा प्रधान लिपिक का दायित्व गोपनीय पत्रों पर पत्राचार करना,वार्शिक प्रविष्टियों का रखरखाव करना एवं कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियो पर नियन्त्रण करना,विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों को कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना तथा कार्यालय के विभिन्न पटल सहायको से प्राप्त पत्रावलियो को परीक्षण के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना है। कार्यालय के स्थापना लिपिक का कार्य अधिष्ठान में नियुक्त समस्त कर्मचारियो की सेवा पुस्तिकाओ का रखरखाव करना,व्यक्तिगत पत्रावलियो का रखरखाव करना,कर्मचारियो के सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरणो का निस्तारण करना है। ाकार्यालय के सहायक लेखाकार का कार्य शासन से आबंटित समस्त बजट का वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में उपयोग सुनिष्चित करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्ताव प्रस्तुत करना ,कार्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा समय–समय पर क्रय किये जाने वाले सामान से सम्बन्धित बिलो की जॉच करना,यात्रा भत्ता बिलो की जॉच करना एवं वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में उनके आहरण की कार्यवाही अपनाना है ।कार्यालय के कैषियर सह स्टोरकीपर का मुख्य दायित्व विभिन्न योजनाओ के अर्न्तगत आहरित धनराषि का भुगतान सम्बन्धितों को वित्तीय नियमों के अनुसार करना है तथा

कार्यालय हेतु क्रय सामग्री से सम्बन्धित स्टोर आदि का रखरखाव ,एवं रोकड बही व स्टाक बुकों का रखरखाव एवं तत्सम्बन्धी कार्य करना है। कार्यालय में एक इन्डैक्सर एवं डिस्पैच लिपिक होता है जिसका मुख्य कार्य विभिन्न स्तरो से प्राप्त होने वाली डाक को प्राप्त करना एवं प्रेशित की जाने वाली डाक का प्रेशण एवं एवं डाक टिकट पंजिका आदि का रखरखाव करना है। कार्यालय में एक बिल लिपिक होता है, जिसका मुख्य कार्य वेतन बिल,यात्रा भत्ता बिल तैयार कर उन्हें परीक्षणोपरान्त वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में आहरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना है। कार्यालय में एक जी0पी0एफ0 लिपिक होता है,जिसका कार्य अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो की जी.पी0एफ0 पास बुको का रखरखाव एवं सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई/अन्तिम निश्कासन के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करना है। कार्यालय में एक पशुधन लिपिक होता है जिसका कार्य विभागीय योजनाओ से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर कार्यवाही करना,बैठके आयोजित करना,बैठको की अनुपालन आख्या तैयार करना,जिला योजना तैयार करना एवं विभागीय कार्यक्रमो एवं जिला योजना से सम्बन्धित मासिक प्रगति विवरणो को तैयार करना है।

मैनुअल – 3

विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

3.1 पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की स्थापना जनपदों में श्वेत क्रांति एवं पालतू पशुओं के विकास की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए की गई है। पूर्व में उ0प्रदेश शासन के अधीन विभाग कार्यरत था। वर्तमान समय में उत्तरांचल राज्य की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग मे राज्य स्तर पर अपर निदेशक, मण्डल स्तर पर उप निदेशक एवं जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी एवं अधिक पशुधन वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं।

जनपद के अधीन कार्यरत संस्थाओं का विवरण–

क्रं. सं.	कार्यरत संस्थायें	संख्या
1	पशु चिकित्सालय	40
2	अटल प्शु सेवा केंन्द्र	43
3	पशु सेवा केन्द्र	67
4	कृ0ग0केन्द्र/उपकेन्द्र	65
5	भेड एवं ऊन केन्द्र	08

3.2 पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियो/वैक्सीन, उपकरणो आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण :–

क्रय हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति, राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबंध समिति एवं जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन एवं दायित्व निम्नवत् परिभाषित किया जाता है :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति

1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, मुख्यालय पशुपालन विभाग उत्तरॉचल	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक/गौवध विकस/रोग नियंत्रण पशुपालन विभाग उत्तरॉचल	सदस्य–संयोजक
3. औषधि नियंत्रक,उत्तरॉचल अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	सदस्य
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरॉचल, पशुधन विकास परिषद	सदस्य
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरॉचल भेड एवं ऊन विकास परिषद	सदस्य
6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, कालेज आफ वैटनरी साइंस, पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर	सदस्य
7. प्रोफेसर ऑफ सर्जरी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि कालेज ऑफ वैटनरी साइंस, पंतनगर विश्वविद्यालय	सदस्य

पंतनगर

यह समिति औषधियो/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण, गाज डेसिंग मेटिरियलो, तरल नत्रजन पात्रा, कृ0ग0 प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणो, अतिहिमीकृत वीर्य आदि की आवश्यकता के संदर्भ में विशिष्टियो/मानको को ध्यान में रखते हुए उनका चयन एवं मात्रा निर्धारण करेगी। इसके सदस्य–संयोजक समिति के सदस्यो को समस्त वांछित सूचनाएं समय से उपलब्ध करायेंगे। इसके सदस्य–संयोजक का भी यह दायित्व होगा कि इस समिति की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सभी सदस्यो एवं शासन को अनिवार्य रूप से प्रषित करें तथा किसी सदस्य अथवा शासन द्वारा आपत्ति किये जाने पर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें एवं अंतिम रूप से चयनित सूचियो को राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो को ससमय प्रेषित करें।

राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल	अध्यक्ष
2. उद्योग निदेशक, अथवा उद्योग निदेशक द्वारा नामित संयुक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य
3. वित्त विभाग, उत्तरॉचल शासन द्वारा नामित वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं उनके समकक्ष स्तर का अधिकारी	सदस्य
4. शासन द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ	सदस्य
5. औषधि नियंत्रक, उत्तरॉचल द्वारा नामित एक अधिकारी /विषय विशेषज्ञ	सदस्य

मैनुअल – 4

कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड़।

विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति 2016–17 / जनपद–पौडी–गढवाल ।

क्र0सं0	मद का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1–	पशुचिकित्सा	234000	192796
2–	बधियाकरण	13800	9386
3–	कृ0ग0केन्द्र–गाय	25500	9016
	भैस		1103
4–	उत्तपन्न संतति– गाय	11000	5013
	भैस		486
5–	प्राकृतिक गर्भाधान –गाय	2061	0
	भैस		0
6–	उत्पन्न संतति–गाय	1105	0
	भैस		0
7–	टीकाकरण	190000	183420
8–	दवापान बडे	7000	8221
9–	दवापान छोटे	63000	42611
10–	दवा स्नान	63000	43396
11–	चारा बीज वितरण		9422
12–	वृक्षारोपण		2875
13–	अल्प बचत		708770
14–	कुक्कुट वितरण	108000	56693

मैनुअल–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम,विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

मैनुअल – 6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित
या उसके नियत्रणाधीन है
प्रयवर्गों का विवरण।

1. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नियत्रंण अधिकारी हैं जिनके नियत्रंण मे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी हैं –

क. पशु चिकित्साधिकारी
ख. पशुधन प्रसार अधिकारी
ग. मुख्य वेटनरी फार्मेसिस्ट
घ. वेटनरी फार्मेसिस्ट
ड. लिपिक वर्ग
च. ड्रेसर
छ. प्रयोगशाला सहायक
ज. चारा पर्यवेक्षक
झ. वाहन चालाक
ट. अन्वेशक कम संगणक
ठ. चतुर्थ श्रेणी

दस्तावेजों प्राधिकारी के पास या उनके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

क0स0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम/परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रकिया	धारक/नियन्त्रणाधीन
1	लेखा	1– बजट आंवटन सम्बन्धी पत्रावली 2– बजट अनुमान पत्रावली 3–बचत एवं व्याधिक्य 4–सासनादेस एवं सकुर्लर पत्रावली 5– भौतिक सत्यापन पत्रावली 6– विभागीय आडिट पत्रावली 7– महालेखाकार आडिट पत्रावली 8– विविध पत्रों की पत्रावली 9– बजट पंजिका 10– कन्टिजैन्सी बिल रजिस्टर/नान प्लान 11– कन्टिजैन्सी रजिस्टर प्लान 12– टी0ए0 चैक रजिस्टर 13–टी0ए0 बिल रजिस्टर 14– यात्रा स्वीकृत रजिस्टर 15– यात्रा भत्ता पत्रावली 16–शासनादेस की पत्रावली		
2	कैस	1– 11 सी रजिस्टर 2– ट्रेजरी गार्ड रजिस्टर 3– नकद/चैक भुगतान पंजिका 4– कैस बुक 5– ट्रैजरी से प्राप्त चैक पंजिका 6– बैंक ड्राफ्ट प्रेषण पंजिका 7– बैंक ड्राफ्ट प्राप्त पंजिका 8– प्राप्ति पंजिका 9– ट्रैजरी चालान पंजिका 10– एस0पी0एस0 पंजिका 11– कैस की डुप्लीकेट चाबियों की पंजिका 12– रसीद बुक 13– वेतन सम्बन्धी पंजिका 14– सामान्य पत्र व्यवहार 15– राष्ट्रीय बचत पत्रावली 16– मासिक आय विवरण पंजिका 17– व्यय विवरण पत्रावली नान प्लान 18– व्यय विवरण पत्रावली प्लान 19– बी0एम0 – 8 पंजिका 20– व्यय मिलान पत्रावली		

		21– विद्युत पंजिका **22– स्टेसनरी पंजिका** **23– जी0पी0एफ0 लेजर चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी** **24– जी0पी0एफ0 बिल रजिस्टर**		
3	**स्थापना सम्बन्धी पत्रावली**	**1– वार्षिक वेतन वृद्वि पंजिका** **2– न्यायालय से सम्बनधित पंजिका**		

स्थापनाः– पत्रावलियों से सम्बन्धित।

———————————————————

- पशु चिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों/वेटनरी फार्मिस्टटों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख–रखाव तथा पत्राचार।
- पशु चिकित्साधिकारियों एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों/वेटनरी फार्मिस्टटों के प्रकरणों सम्बन्धी पत्राचार।
- सथापना सम्बन्धी कार्य ।
- चर्तुथ श्रेणी एवं श्रेणी–3 के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का रख–रखाव एवंत द सम्बन्धी पत्राचार।
- पेंसन प्रकरण का निस्तारण एवं पत्राचार ।
- आडिड सम्बन्धी कार्य किया जाना है।

बिल कक्ष–

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि आहरण करने सम्बन्धी कार्य ।
- अवेसस भुगेतान का एरियर आदि का भुगतान सम्बन्धी कार्य ।
- श्रेणी–दों एवं श्रेणी–3 के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सामान्य खातों का रख–रखाव आदि रखना ।

यात्रा सम्बन्धी/सा0भ0निधि–

1– टी0ए0 चैक पंजिका का रख–रखाव एवं विलों का आहरण करने सम्बन्धी कार्यवाही ।
2– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सा0भ0 का रख–रखाव एवं पत्राचार सम्बन्धी कार्यवाही

चारा–सम्बन्धी– 1– विभागीय एवं भारत सरकार द्वारा प्राप्त चारा बीजों का वितरण ।
– मासिक प्रगति ।
– स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना सम्बन्धी पत्रावली ।
– एस0जी0वाई0एस/स्वर्ण जयन्ती सम्बन्धी पत्रावली ।
– महिला उत्थान योजना मे मृत पसवों के बीमा सम्बन्धी ।
– डेयरी/पोल्ट्री वैचर से सम्बन्धी पत्रावली ।

अन्वेशक कम संगणक – क्षेत्र मे पयु गणना का कार्य करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना।
पयुधन – मासिक, त्रैमासिक , वार्षिक प्रतिवेदन पत्रावलियां/पंजिकाऐं, बैठक सम्बन्धी पंजिका, रोगों से सम्बन्धी सूचना की पंजी एवं पत्रावली, जिला योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति पंजिका एवं पत्रावली, यू0एल0डी0पी0/आई0एस0डी0पी0 से सम्बन्धित पंजिका एवं पत्रावली।

मैनुअल – 7

किसी व्यवस्था के विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

मैनुअल – 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगीं या ऐसे बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी।

8.1 उत्तरॉचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

- **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता ?**
  उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, 233/1, वसन्त विहार, देहरादून–248006

- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) ?**
  सोसाईटीज रजिस्ट्रेषन अधिनि यम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति।

- **सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिच य (स्थापना वर्ष, उद्देष्य/मुख्य कृत्य) ?**
  - **स्थापना** – जुलाई 2002
  - **मुख्यालय** – 233/1, वसन्त विहार, देहरादून।
  - **पंजीकरण संख्या–**343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।

  उद्देश्य :

  - पषु प्रजनन एवं पषुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेष से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
  - राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैसों हेतु राज्य की पषु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पषु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना ।
  - गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोषालाओ, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित / प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी /कृशकों के द्वार पर ही पषुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
  - अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
  - गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख–रखाव व पालन–पोशण करके देषी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड़ नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।

  मुख्य कृत्य :

  सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पषुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पषु–प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पषुधन उत्पादों में वृद्धि करना है। इसके साथ–साथ उत्तरांचल षासन द्वारा राज्य में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्श 2004–05 में यू.एल.डी.बी. को सौंपा गया है, जिसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य ?**

  स्वरूप : उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम।

वर्तमान सदस्य :

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास षाखा, उत्तरांचल षासन (पदेन) अध्यक्ष
2. श्री मनीश वर्मा, 10 गांधी मार्ग, देहरादून (नामित) उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव, पषुपालन विभाग, उत्तरांचल षासन (पदेन) सदस्य
4. अपर निदेषक, पषुपालन विभाग, उत्तरांचल (पदेन) सदस्य
5. निदेषक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल (पदेन) सदस्य

6. परियेाजना निदेषक, डी.आर.डी.ए. देहरादून (पदेन) सदस्य

7. अधिश्ठाता, पषुचिकित्सा महाविद्यालय, पंतनगर विष्वविद्यालय (पदेन) सदस्य

8. आई.वी.आर.आई. मुक्तेष्वर (नैनीताल) के प्रतिनिधि सदस्य

9. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य

10. बायफ, के प्रतिनिधि सदस्य

11. संयुक्त सचिव (एल.पी.एण्ड एफ) भारत सरकार (कृशि मंत्रालय) पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिभागी सदस्य

12. डा0 जी.के. उप्रेती, विषेशज्ञ पशुधन सदस्य

13. श्री मोहन चन्द्र दुर्गापाल, विषेशज्ञ चारा विकास सदस्य

14. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, (उत्तरांचल दुग्ध संघों के प्रतिनिधि) सदस्य

15. डा.एच.सी.जोषी, अध्यक्ष ग्रामीण एवं कृशि विकास समिति (प्रतिनिधि एन.जी.ओ.) सदस्य

16. श्री मोहन सिंह बिष्ट, (प्रतिनिधि गोषाला) सदस्य

17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेषन हल्द्वानी (पदेन) सदस्य

18. मुख्य अधिषासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी.(पदेन) सदस्य/सचिव

- **मुख्य अधिकारी का नाम ?**
  डा0 कमल सिंह

- **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते ?**
  1. मुख्यालय – 233/1, वसन्त विहार, देहरादून–248006
  2. शाखा कार्यालयी इकाइयों :

  क. डी0एफ0एस0, श्यामपुर – अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश–हरिद्वार बाई पास मार्ग, ऋषिकेश, श्यामपुर–ऋषिकेश, जनपद–देहरादून ।

  ख. प्रषिक्षण केन्द्र –यू0एल0डी0बी0 प्रशिक्षण केन्द्र, ऋषिकेश, गंगा बैराज मार्ग, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून ।

  ग. चारा बैक – यू0एल0डी0बी0 चारा बैंक, लक्कड़ घाट मार्ग, ऋषिकेश, जनपद– देहरादून ।

  घ. ई0टी0स्टेट सेन्टर – भ्रूण प्रत्यारोपण स्टेट सेन्टर, लालकुआं, दुग्ध संघ परिसर, लालकुआं (नैनीताल)

  ड. सीमेन बैंक – यू0एल0डी0बी0 सीमेन बैंक, नैनीताल दुग्ध सं घ के निकट,लालकुआं (नैनीताल)

  च. पशुप्रजनन फार्म – पशुप्रजनन फार्म कालसी, जनपद–देहरादून

  बैठक की आवृति ?

  वार्षिक सामान्य बैठक – वर्ष में एक बार ।
  साधारण सामान्य बैठक – आवश्यकतानुसार ।
  असाधारण सामान्य बैठक – आवश्यकतानुसार ।
  अधिशासी कमेटी बैठक – त्रैमासिक ।

- **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?**
  नहीं ।
- **क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?**
  हां ।
- **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?**
  यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया ?

  हां, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार ।

8.2 उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

उद्येश्यः उत्तरांचल में भेडों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेडपालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड पालन व्यवसाय के प्रति जागरुक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचयः

- स्थापना – अक्टूबर 2003
- मुख्यालय – देहरादून
- पंजीकरण संख्या – 1998 दिनांक 31–10–2003 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं01890 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रमः–

- बोर्ड द्वारा 12 भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शषक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 ऊन श्रेणीकरण/क्रय–विक्रय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देषीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम–भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट मेढों में बधियाकरण तथा भेडों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
- नस्ल सुधार कार्यक्रम–राज्य के प्रगतिशील भेडपालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढों का निःशुल्क वितरण।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गतः–

- भेडो को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाने हेतु भेडपालकों को शिक्षित/जागरुक करना।
- ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेडों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ करना।
- मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेडपालकों को शिक्षित एवं जागरुक करना।

'उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेडपालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना

'भेड पालकों को ग्राम स्तर पर भेडों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेडों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेडपालकों प्रशिक्षित/जागरुक/शिक्षित करना।

- भेड पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।

- कालसी (देहरादून),मुनिकीरेती (टेहरी),डुण्डा (उत्तरकाशी),मुन्स्यारी (पिथौरागढ)ग्वालदम (चमोली) में पांच नये भेड बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित कर

उत्तरांचल शासन

पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग

संख्या 568 / ए0म0दु0–उ0वि0यो0 / 2003 / 2003

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत गठन की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है।

उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा ।

1. माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तरांचल	पदेन अध्यक्ष
2. सचिव, पशुपालन उत्तरांचल षासन	पदेन उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव,पशु पालन,उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव / सदस्य
4– प्रमुख, सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
5– सचिव, उद्योग उत्तरांचल शासन	पदेन सदस्य
6– मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन विकास बोर्ड कपडा मंत्रालय भारत सरकार	पदेन सदस्य
7–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराचल	पदेन सदस्य
8–प्रबन्ध निदेशक,गढवाल विकास निगम,उत्तरांचल	पदेन सदस्य
9. प्रबंध निदेशक,कुमांयू मण्डल विकास निगम,उत्तरांचल	पदेन सदस्य

(ओम प्रकाश)

सचिव

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

पशुपालन विभाग

उत्तरांचल शासन

संख्या 256/11/व0ग्रा0वि0/प0पा0–यू0एस0डव्ल्यू0डी0बी0/773(2)/2004

देहरादून दिनांक 16 अप्रेल 2004

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0568/प0मु0दु0–ऊ0वि0बो0/03 दिनांक 29–10–03 शासनादेश स056/11/ई.श्र.क्र./प.पा./1050/यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0/2003 दिनांक 19.01.04 शासनादेश सं0 26/पशुपालन/04 दिनांक 19.02.04 एवं शासनादेश सं0 25/पशुपालन/04 दिनांक 19.02.04 के संदर्भ में यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की बैठक दिनांक 23.02.04 से हुये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड की गवर्निग बौडी को निम्नवत पुर्नगठित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं ।

1.माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तरांचल सरकार(पदेन) – अध्यक्ष
2.श्री कीर्ति सिंह नेगी,नई टिहरी (टिहरी गढवाल) – कार्यकारी अध्यक्ष
3.डा0एस0पी0एस0रावत,स्यूंसी(पौडी गढवाल) – उपाध्यक्ष
4.प्रमुख सचिव,वित्त उत्तरांचल शासन(पदेन) – सदस्य
5.सचिव,पशुपालन विभाग,उत्तरांचल शासन (पदेन) – सदस्य
6.सचिव,उद्योग उत्तरांचल शासन (पदेन) – सदस्य
7.सचिव,वन पर्यावरण एवं जलागम,उत्तरांचल शासन(पदेन) – सदस्य
8.कार्यकारी निदेशक,केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड,वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार (पदेन)अथवा उनके नामित प्रतिनिधि

9.अपर सचिव,पशुपालन,उत्तरांचल शासन (पदेन) – सदस्य
10.मुख्य कार्यपालक अधिकारी,खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तरांचल(पदेन) सदस्य
11.प्रबन्ध निदेशक,गढवाल मण्डल विकास निगम,देहरादून(पदेन) – सदस्य
12.प्रबन्ध निदेशक,कुमांयू मण्डल विकास निगम,नैनीताल(पदेन) – सदस्य
13.निदेशक,केन्द्रीय भेंड एवं ऊन अनुसंधान संस्था अंबिकानगर

राजस्थान पदेन अथवा उनके प्रतिनिधी – सदस्य

14–अर निदेशक पशुपालन (उत्तरांचल)पदेन – सदस्य

15–रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला(डी0ऐ0आर0एल0),पिथौरागढ़ के प्रतिनिधी पदेन– सदस्य

16–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एल0ढी0बी0,देहरादून– पदेन – सदस्य

17–निदेशक, हाईफेड, रानीचौरा, टिहरीगढ़वाल– सदस्य

18–उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेष्वर, टिहरी तथा चम्पावत जनपदोंसे एक–एक प्रगतिषील जिनका नामांकन अध्यक्ष की सहमति से यू0एस0डब्लू0डी0बी0 द्वारा किया जायेगा–

19–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्लू0डी0बी0,देहरादून– सदस्य/सचिव

13–यू0एस0डब्लू0डी0बी0 की उपरोक्त बैठक दिनांक 23.2.2004 के निर्णय संख्या –9 के अनुसार राज्यपाल ,उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेपलेमेट बोर्ड की अधिशासी कमेटी का पुर्नगठन निम्नवत किये जाने की सहर्श अनुमति प्रदान करते हैं।

1–सचिव, पशुपालन विभाग,उत्तरांचल षासन–पदेन	अध्यक्ष
2–अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल षासन–पदेन	उपाध्यक्ष
3–अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल–पदेन	सदस्य
4–मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एल0डी0बी0–पदेन–	सदस्य
5–निदेशक, उद्योग, उत्तराचंल अथवा उनके प्रतिनिधी–	सदस्य
6–प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल, विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधी–	सदस्य
7–प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधी–	सदस्य
8–महाप्रबन्धक, खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधी–	सदस्य
9–मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्लू0डी0बी0 पदेन–	सदस्य/सचिव

8.3 उत्तरांचल पशुकल्याण बोर्ड

1–स्थापना– 2004

2–मुख्यालय– पशुलोक–ऋषिकेश, देहरादून, लेन नं.1 डी–26 शास्त्रीनगर,हरिद्वार रोड, देहरादून

3–पंजीकरण संख्या– दिनांक (सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)

उद्देश्यः–

(1)उत्तरांचल राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलानें, पालतू एवं अन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकनें तथा पशुओं की दशा सुधारने हतु उत्तरांचल सरकार द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन पर उत्तरांचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना ।

(2)बोर्ड निगम निकाय होगा और उसका साश्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की उसको षक्ति होगी । आवश्यकतानुसार अपने नाम से बाद चला सकता है या उसके नाम पर बाद चलाया जा सकता है।

मुख्य कृत्यः–

(क)जीव जन्तुओं के प्रति कूरता निवारण हेतु भारत में प्रतृत्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी बिधि में समय–समय पर किये जाने वाले संषोधनों की वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ख)जीव जन्तुओं को समान्यताया या विषिश्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवाहन किये जा रहे हों या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हो या जब वे बन्धन या प्रतिरोध मं रखे गयें हो तब अनावष्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृश्टि से इस नियम के अधीन नियम बाने वावत् राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ग)भास्वाही जीव जन्तुओं पर भार कम करनें के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

(घ)षेडों, जलनादों और तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोन्तसाहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पषु चिकित्सा सहायता उपवन्धित करने, पषुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाया करें ।

(ड़)बधालयों की डिजायन या बधालयों को चलानें या जीव जन्तुओं के बध के संबन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें । तांकि जहां तक सम्भव हो पषु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक षारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो । जहां कीं जीव जन्तुओं को मार देना आवष्यक हो वहां यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जायें ।

(च)जब कभी अवांछनीय जीवन जन्तु को नश्ट किया जाना आवष्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियेां द्वारा या तो तुरन्त किया जाय सया जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसार उपाय करें ।

(छ)ऐसे"पिंजरापोलों" बचावगृहों, पशुआश्रमों,पशुवनों अन्य स्थानों जहां पशुपक्षी बूढ़े व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब षरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के एि वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दें या अन्यथा प्रोत्ससाहित करें ।

(ज)जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संस्था क लिए स्थापित संस्थाओं या निकायो के साथ सहयोग एवं उनके कार्यो का समन्वय करें

(झ)स्थानीय क्षेत्रों में कार्यषील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसें जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें । जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं प्रदर्षन के अधीन कार्य करें ।

(ञ)जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उपबन्ध हो उससे सम्बन्धित विषयेां पर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवश्यक समझे जीव अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें ।

(ट)जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित वरताव करने के उद्देष्य से शिक्षा /प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाशणों, पुस्तकों, पोस्टरों या चल चित्र प्रदर्शनों एवं उपलब्ध साधनों के द्वारा लोकमत या अन्य सहायता दें ।

(ठ)जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीड़ा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें ।

प्रारूप एवं वर्तमान सदस्यः स्वरूपःउत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम

वर्तमान सदस्यः–

(1)मा0मंत्री महोदय पषुधन एवं मत्स्य उत्तरांचल	प्रदेष अध्यक्ष
(2)राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर)	उपाध्यक्ष
(3)सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव
(4)निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
(5)मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तरांचल	सदस्य
(6)गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(7)पांच पशुप्रेमी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(8)समाज सेवी संस्थाओं के "दो"सदस्य जो पशुकल्याण का कार्यकर रहे (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(9)प्रमुख सचिव, गृह उत्तरांचल षासन	सदस्य

(10)निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तरांचल राज्य सदस्य

(11)जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि

(राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य

(12)विधान सभा के दो मा0विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य

(13)सेवा निवृत न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रषासनिक सेवा से जुड़ें दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित) सदस्य

मैनुअल – 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुचिकित्सा अधिकारी पौडी

क्र0 स0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सम्पर्क नम्बर	संस्था का नाम
1	डा0 राजेन्द्र कुमार	मु0प0चि0अ0	223084	मु0प0चि0अ0 पौडी
2	डा0 दिव्या नेगी	प0चि0अ0	9410907535	प0चि0 डडुवादेवी
3	डा0 अजित प्रताप सिह	प0चि0अ0	9450721111	प0चि0 खिर्सू
4	डा0 मनजीत सिंह	प0चि0अ0	9720769344	प0चि0 कलालघाटी
5	डा0विक्रान्त गिल	प0चि0अ0	9456454670	प0चि0 कोट
6	डा0 बिपुलजैन	प0चि0अ0	9456483544	प0चि0 जयहरीखाल
7	डा0विशन कुमार तोमर	प0चि0अ0	9412385359	प0चि0 पाबौ
8	डा0 मंजूपाल	प0चि0अ0	941220788	प0चि0 दुग्डडा
9	डा0 बी0एम0गुप्ता	प0चि0अ0	9412997712	प0चि0 चैलूसैण
10	डा0 डी0के0शर्मा	प0चि0अ0		प0चि0 यमकेश्वर
11	डा0 नीरजकुमार पचौरी	प0चि0अ0	9456445982	प0चि0 सतपाली
12	डा0 प्रेमा ध्यानी	प0चि0अ0	9410191716	कु0प्र0 कोटद्वार
13	डा0बी0डी0ढौडियाल	प0चि0अ0	8979445272	प0चि0 रिखणीखाल
14	डा0 विजयपाल सिंह	प0चि0अ0	9412984364	प0चि0 पौडी
15	डा0 अमित ध्यानी	प0चि0अ0	9411164719	प0चि0 कोटद्वार
16	डा0 हिमाशुं पांगती	प0चि0अ0	9411125491	प0चि0 धुमाकोट
17	डा0 मनाली पन्त	प0चि0अ0	9457011132	सचल कोटद्वार
18	डा0 दीक्षा रावत	प0चि0अ0	9410908265	प0चि0 बुलेखाखाल
19	डा0 शालिनी पाण्डेय	प0चि0अ0	9536260040	प0चि0 सतपुली
20	डा0 राजेश कुमार	प0चि0अ0	9410949621	प0चि0 काण्डाखाल
21	डा0 शिवानी चौहान	प0चि0अ0	9410349849	रोग प्रयो.कोटद्वार
22	डा0 अमित कुमार	प0चि0अ0	9456101336	प0चि0अ0 मोहनचटटी
23	डा0 निधि विष्ट	प0चि0अ0	9458354336	प.चि.थलनदी
24	डा0 डी0सी0एस0रावत	रो0अनु0अधि0	9412907051	कोटद्वार
25	डा0 अभय कुमार	उ0मु0प0चि0अ0	8859002124	मुख्यालय

26	डा0 सुमित कौर	प0चि0अ0	9756204592	प0चि0 देवलगढ
27	डा0 आशा सामंत	प0चि0अ0	8958940478	प0चि0 कोलादरिया
28	डा0 किरन रावत	प0चि0अ0	9458359356	प0चि0 कठूडवडा
29	डा0 शैल निधि	प0चि0अ0	9568597293	प0चि0 धुमाकोट
30	डा0 धीरज अधिकारी	प0चि0अ0	9760474956	प0चि0 रीठाखाल
31	डा0सतीश चन्द्र	प0चि0अ0		प0चि0पोखडा
32	डा0रजनीश पाण्डेय	प0चि0अ0		प0चि0श्रीनगर
33	डा0भूपेन्द्र सिह	प0चि0अ0		प0चि0थलीसैण
34	डा0अजयपाल असवाल	प0चि0अ0	9411125491	प0चि0बीरोखाल

कार्यालय स्टाफ

1	श्री गुणा नन्द	बरिष्ठप्रशासनिक अधिकारी	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	8979343658
2	श्री मनमोहन सिंह रावत	प्रशासनिक अधिकारी	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	7895668341
3	श्री हरीशचन्द्र	लेखाकार	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	7895731025
4	श्री मनोज कुमार चन्दोला	मुख्य सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	
5	श्रीमती सुनीता भट्ट	मुख्य सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	
6	श्री अनूप राणा	वरिष्ट सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9837642606
7	श्री दिनेश चन्द्र आर्य	वरिष्ट सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9456392269
8	श्री हरीश चमोली	वरिष्ट सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	
9	श्री दीपक सिंह रावत	कनिष्ट सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9719152261
10	श्री पुनीत विष्ट	कनिष्ट सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9690638947
11	श्री विवेक कुमार	कनिष्ट सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	8979538665
12	श्री भगवान सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9897720692
13	श्रीमती दीपिका कोटियाल	अपर संख्याधिकारी	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	
14	श्री गुलशन कुमार	सहायक संख्याधिकारी	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9758867159
15	श्री नागेन्द्र प्रसाद	वाहन चालक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9897871324
16	श्री अनुसूया प्रसाद	टनुसेवक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	9897597386
17	श्री प्रकाशसिंह	प0स0	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	223084
18	श्री अरविन्द कुमार	प0स0	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	223084
19	श्री धीरेन्द्र सिंह	टनुसेवक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	8979852226
20	श्री आशीष कुमार	टनुसेवक	कार्या0मु0प0चि0अधि0पौड़ी	97979219661

वैटनरी फार्मेसिस्ट

1	श्री दलजीत सिंह	वै0फार्मे0	पौड़ी
2	श्री हेमन्तसिंह	वै0फार्मे0	सतपुली
3	श्री डी0सी0 धस्माना	वै0फार्मे0	कमलपुर
4	श्री रामस्वरूप कोटनाला	वै0फार्मे0	रिखणीखाल
5	श्री विक्रमसिह विष्ट	वै0फार्मे0	कोटद्वार
6	श्री हरेन्द्रसिंह चौहान	वै0फार्मे0	कोटडीसैण
7	श्री मनोज कुमार जोशी	वै0फार्मे0	दुगड्डा
8	श्री रमेश यादव	वै0फार्मे0	मोहनचट्टी
9	श्री बृजमोहन गैरोला	वै0फार्मे0	कोट
10	श्री हरिबसन्तसिंह नेगी	वै0फार्मे0	थलनदी
11	श्री सुशील कुमार	वै0फार्मे0	पोखडा
12	श्री विमल कुमार नैथानी	वै0फार्मे0	सरोडा–मरोडा
13	श्री रघुवीर सिंह राणा	वै0फार्मे0	श्रीनगर
14	श्री सुदर्शन कुमार	वै0फार्मे0	कलालघाटी
15	श्री सतीशचन्द्र	वै0फार्मे0	डाडामण्डी
16	श्री असफाक अहमद	वै0फार्मे0	काण्डाखाल
17	श्री नरेश शर्मा	वै0फार्मे0	कालागढ़
18	श्री अमितसिंह	वै0फार्मे0	देवलगढ
19	श्री राजकुमार	वै0फार्मे0	वीरोंखाल
20	श्री गोपाल सिह रावत	मु0वै0फार्मे0	कोटद्वार
21	श्री हरीश चन्द्र ईष्वाल	वै0फार्मे0	डडुवादेवी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की निर्देशिका

1	श्री भगवान सिंह विष्ट	पशुधन सहायक	पौड़ी (सत्यखाल)
2	श्री ज्ञान सिंह	पशुधन सहायक	चौखाल
3	श्री भगवान सिंह	पशुधन सहायक	खिर्सू
4	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	देवलगढ़
5	श्रीमती आशादेवी	पशुधन सहायक	डडुवादेवी
6	श्री चिरंजी लाल	पशुधन सहायक	श्रीनगर
7	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	पौड़ी (परसुण्डाखाल)
8	श्री जसोदा लाल	पशुधन सहायक	घुसगुली
9	श्री घुरीलाल	पशुधन सहायक	कोट
10	श्री सुरेन्द्र सिंह बुटोला	पशुधन सहायक	डडुवादेवी
11	श्री जगमोहन सिंह	पशुधन सहायक	पौड़ी
12	श्री मातवर सिंह	पशुधन सहायक	चाकीसैण
13	श्री गिरधारी सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	डडुवादेवी
14	श्री मोहनलाल	पशुधन सहायक	जयहरीखाल
15	श्री केदार सिंह नेगी	पशुधन सहायक	पाबौ
16	श्री जगमोहन सिंह	पशुधन सहायक	कोटद्वार
17	श्री वृजमोहन धूलिया	पशुधन सहायक	चैलूसैण
18	श्रीमती लक्सूदेवी	पशुधन सहायक	देवलगढ़
19	श्रीमती भगवती देवी	पशुधन सहायक	कलालघाटी
20	श्री प्रेमबल्लभ नैथानी	पशुधन सहायक	कालागढ़
21	श्री कैलाशचन्द्र पोखरियाल	पशुधन सहायक	कोटलीसैण
22	श्री सुरेन्द्र सिंह	पशुधन सहायक	नैनीडाडा
23	श्री जगमोहन सिंह	पशुधन सहायक	स्तपुली
24	श्री सुमेरू	पशुधन सहायक	डाडामंडी
25	श्री शशीचन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	मोहनचट्टी
26	श्री कुलदीप सिंह रावत	पशुधन सहायक	दुगड्डा
27	श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट	पशुधन सहायक	कोटद्वार
28	श्री पूर्ण सिंह	पशुधन सहायक	बीरोखाल
29	श्री सुधाकर नैथानी	पशुधन सहायक	दुगड्डा
30	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	काण्डाखाल
31	श्री बाबूराम	पशुधन सहायक	यमकेश्वर
32	श्री राजेसिंह	पशुधन सहायक	सरोडा–मरोडा
33	श्री हिम्मतसिंह	पशुधन सहायक	थलीसैण
34	श्री जयदेव नैथानी	पशुधन सहायक	कोटद्वार
35	श्री हरीशचन्द्र चौहान	पशुधन सहायक	सतपाली
36	श्री रामकृष्ण खन्तवाल	पशुधन सहायक	बुलेखाखाल
37	श्री भाष्करानन्द कण्डवाल	पशुधन सहायक	काण्डाखाल
38	श्रीमती सुषमा देवी	पशुधन सहायक	नैनीडाडा
39	श्री मंगलसिंह	पशुधन सहायक	थलीसैण

40	श्री बलवीरसिंह	पशुधन सहायक	पोखडा
41	श्री साधूराम नैथानी	पशुधन सहायक	रीठाखाल
42	श्री सुरेशचन्द्र	पशुधन सहायक	चेलूसैण
43	श्री भगतसिंह	पशुधन सहायक	स्तपुली
44	श्री चन्द्रकिशोर काला	पशुधन सहायक	डाडामण्डी
45	श्रीमती भागेश्वरीदेवी	पशुधन सहायक	रीठाखाल
46	श्री शिवप्रकाश	पशुधन सहायक	एकेश्वर
47	श्री छोटेसिंह	पशुधन सहायक	धुमाकोट
48	श्रीमती हेमलता चौहान	पशुधन सहायक	दुगड्डा
49	श्री बालमसिंह	पशुधन सहायक	कोलादरिया
50	श्री जगदम्बाप्रसाद नैथानी	पशुधन सहायक	बुलेखाखाल
51	श्री महेशचन्द्र नैथानी	पशुधन सहायक	काण्डाखाल
52	श्री कल्याणसिंह	पशुधन सहायक	क्मलपुर
53	श्री भरतसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	पाबौ
54	श्री सुखदेव प्रसाद	पशुधन सहायक	सतपाली
55	श्री ताजवरसिंह	पशुधन सहायक	चाकीसैण
56	श्री मोहनसिंह	पशुधन सहायक	जहरीखाल
57	श्रीमती शकुन्तलादेवी	पशुधन सहायक	कोट
58	श्रीमती पीताम्बरीदेवी	पशुधन सहायक	क्मलपुर
59	श्री गिरीशचन्द्र	पशुधन सहायक	रीठाखाल
60	श्री विनोद कुमार विष्ट	पशुधन सहायक	थलनदी
61	श्री विनोद कुमार जदली	पशुधन सहायक	डाडामंडी
62	श्री सुरेन्द्रसिंह	पशुधन सहायक	कोटद्वार
63	श्रीमती रेखा	पशुधन सहायक	पाबौ
64	श्री ध्यानसिंह	पशुधन सहायक	पौडी
65	श्री क्रान्ति कुमार	पशुधन सहायक	बहेडाखाल
66	श्री दुर्गाप्रसाद	पशुधन सहायक	देहलचौरी (कमलपुर)
67	श्री कमलेश	पशुधन सहायक	कल्जीखाल
68	श्रीमती पार्वतीदेवी	पशुधन सहायक	घुसगुली
69	श्रीमती देवेश्वरी देवी	पशुधन सहायक	स्तपाली
70	श्री आशीष कुमार	पशुधन सहायक	कठुडवडा
71	श्री मुकेश कुमार	पशुधन सहायक	कठुडवडा
72	श्री सुरेशचन्द्र मंमगाई	पशुधन सहायक	वीरोंखाल
73	श्री राजकुमार	पशुधन सहायक	खिर्सू
74	श्रीमती अनिता नौडियाल	पशुधन सहायक	पौड़ी
75	श्री जगतसिंह	पशुधन सहायक	पोखडा
76	श्री प्रमोद कुमार	पशुधन सहायक	कोटद्वार
77	श्री मधुसूदन रावत	पशुधन सहायक	रिखणीखाल
78	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	पशुधन सहायक	प.चि.कठूडबडा
79	श्री सोबन सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	कुक्कुट लैब कोटद्वार

80	श्री अर्जुन सिंह	पशुधन सहायक	सघन कुक्कुट कोंटद्वार
81	श्री पूर्ण सिंह	पशुधन सहायक	कृत्रिम गर्भा0 कोटद्वार
82	श्री सुरेन्द्र सिंह	पशुधन सहायक	प0से0के0 चमधार
83	श्री हरीश चन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	पौडी
84	श्री मातवर सिंह	पशुधन सहायक	पौडी
85	श्री सीताराम	पशुधन सहायक	रीठाखाल
86	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	डाडामंडी
87	श्री दिनेश कुमार सिंह रावत	पशुधन सहायक	डाडामंडी
88	श्री जयकिशन	पशुधन सहायक	एकेश्वर
89	श्री राहुल कुमार	पशुधन सहायक	कुक्कुट प्रक्षेत्र कोटद्वार
90	श्रीमती इन्दू जोशाी	पशुधन सहायक	प0चि0 पौडी
91	श्रीमती गोदाम्बरी देवी	पशुधन सहायक	प0चि0 पौडी
92	श्री डब्बल सिंह	पशुधन सहायक	अमोठा
93	श्री धीरज सिहं	पशुधन सहायक	मोहनचटटी
94	श्री बलबीर सिहं	पशुधन सहायक	क्मलपुर
95	श्रीमती शोभा देवी	पशुधन सहायक	पोखडा
96	श्री नरेश कुमार	पशुधन सहायक	खिर्सू
97	श्री विजय कुमार	पशुधन सहायक	चैलूसैण
98	श्री बलबीर सिह	पशुधन सहायक	क्मलपुर

पशुधन प्रसार अधिकारी

1	श्री आर0के0 नौटियाल	क्षेत्र प्रसार अणिकारी	खाण्डूसैण
2	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	सत्यखाल
3	श्री माधव लाल ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	पोखरी
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद कपटियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	घडियाल
5	श्री हरीशचन्द्र बमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	देहलचौरी
6	श्री एस0के0 मैठाणी	पशुधन प्रसार अधिकारी	सुमेरूसैण
7	श्री हर्षमोहन सिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	मोटाढाक
8	श्री आर0के0 कन्डवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	पली
9	श्री सन्तोष कुमार देवलियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	पौखाल
10	श्री बृजमोहन सिंह गुसुंई	पशुधन प्रसार अधिकारी	रामणी
11	श्री ओमप्रकाश राज	पशुधन प्रसार अधिकारी	सिकू
12	श्री गोपालसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	धारकोट
13	श्री कलमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	चमधार
14	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	धौलखेतखाल
15	श्री संजय नैथानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	फरसूला
16	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	घटगोला
17	श्री हेमन्त भारद्वाज	पशुधन प्रसार अधिकारी	सिगड्डी
18	श्री विनय कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	श्रीकोटखाल
19	श्री अमित बहुखण्डी	पशुधन प्रसार अधिकारी	अमोठा
20	श्री मनोज जायसवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	दिखोलीखाल
21	श्री शेखर शर्मा	पशुधन प्रसार अधिकारी	बैंजरों
22	श्री सुमन्तसिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	आमसैण
23	श्री बिजय पाल शाह	पशुधन प्रसार अधिकारी	चिपलघाट
24	श्री शैलेश विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	कोटद्वार
25	श्री गजेसिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	ढौटियाल
26	श्री हरिबल्लभ जखमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	नौदानू
27	श्री प्रेमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	किल्बौखाल
28	श्री सुभाष चन्द्र गौड	कुक्कुट निरीक्षक	सघन कुक्कुट कोटद्वार
29	श्री रमेश चन्द्र बक्स	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	देवीखेत
30	श्री गणेश चन्द्र जोशी	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	स्नेह
31	श्री अब्बल सिंह चौहान	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	गंगाभोगपुर
32	श्री राकेश सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	गोलीखाल
33	श्री मुकेश सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	भेटी
34	श्री अजय कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	स्ूला
35	श्री राजगुरु	पशुधन प्रसार अधिकारी	परसुण्डाखाल
36	श्रीमति सपना रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	सैधीखाल
37	श्रीमति ममता	पशुधन प्रसार अधिकारी	सिमलना
38	श्री हरीश गोनियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	सर
39	श्री ललित कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	बहेडाखाल
40	श्री सनन्द कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	दांथा
41	श्री वीरेन्द्र सिंह	पशुधन प्रसार अधिकार	बसन्तपुर
42	श्री प्रेम सिह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	मांगथा

मैनुअल – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी
द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें
विनियकों के यथा उपबंधित प्रतिकर
की प्रणाली सम्मिलित है।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पौडी

क्र0सं0	अधिकारी/कमर्मचारी का नाम नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद नाम	वेतनमान	पारिश्रमिक
1	डा0 राजेन्द्र कुमार	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	118500–214100	2262900/–
2	डा0 दिव्या नेगी	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
3	डा0 अजित प्रताप सिह	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
4	डा0 मनजीत सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
5	डा0 विक्रान्त गिल	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1297848/–
6	डा0 बिपुलजैन	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1297848/–
7	डा0 विशन कुमार तोमर	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1173732/–
8	डा0 मंजूपाल	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
9	डा0 बी0एम0गुप्ता	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
10	डा0 भूपेन्द्र सिह	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1297848/–
11	डा0 नीरजकुमार पचौरी	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1297848/–
12	डा0 अजयपाल असवाल	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
13	डा0 भरतदत्त ढौडियाल	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
14	डा0 विजयपाल सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
15	डा0 अमित ध्यानी	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1297848/–
16	डा0 हिमांशु पांगती	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
17	डा0 मनाली पन्त	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
18	डा0 दीक्षा रावत	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
19	डा0 शालिनी पाण्डेय	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
20	डा0 राजेश कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
21	डा0 शिवानी चौहान	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
22	डा0 अमित कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
23	डा0 निधि विष्ट	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
24	डा0 डी0सी0एस0रावत	रो0अनु0अधि0 कोटद्वार	56100–177500	980376/–
25	डा0 अभय कुमार	उ0मु0प0चि0अ0	78800–209200	1606092/–
26	डा0 सुमित कौर	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
27	डा0 प्रेमा ध्यानी	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
28	डा0 आशा सामंत	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
29	डा0 किरन रावत	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
30	डा0 शैल निधि	पशु चिकित्साधिकारी	56100–177500	980376/–
31	डा0 धीरज अधिकारी	पशु चिकित्साधिकारी	15600–39100	956089/–
32	डा0डी0के0शर्मा	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
33	डा0सुनिल कुमार अवस्थी	पशु चिकित्साधिकारी	67700–208700	1323120/–
34	डा0रजनीश पाण्डेय	पशु चिकित्साधिकारी	15600–39100	956089/–
35	श्री गुणा नन्द	बरिष्ठ प्रशासनिक अधि0	47600–151100	724608/–
36	श्री मनमोहन सिंह रावत	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400	725928/–
37	श्री हरीश चन्द्र	लेखाकार	35400–112400	604800/–
38	श्री मनोज चन्दोला	मुख्य सहायक	35400–112400	592416/–
39	श्रीमती सुनीता भट्ट	प्रधान सहायक	35400–112400	543744/–

40	श्री हरीश चमोली	बरिष्ठ सहायक	29200–92300	418296/–
41	श्री अनूप कुमार	बरिष्ठ सहायक	29200–92300	418296/–
42	श्री दिनेश चन्द्र आर्य	बरिष्ठ सहायक	29200–92300	418296/–
43	श्री दीपक सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	359688/–
44	श्री पुनीत विष्ट	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	350268/–
45	श्री भगवान सिहं रावत	कनिष्ठ सहायक	25500–81100	444312/–
46	श्री विवेक कुमार	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	340848/–
	श्रीमती दीपिका कोटियाल	अपर संख्याधिकारी	35400–112400	629868/–
47	श्री गुलशन कुमार	अन्वे0 कम संगणक	35400–112400	612372/–
48	श्री नागेन्द्र प्रसाद	वाहन चालक	44900–142400	647760/–
49	श्री संजय	वाहन चालक	25500–81100	388296/–
50	श्री अनुसूया प्रसाद	पत्र वाहक	29200–92300	471456/–
51	श्री प्रकाशसिंह	पत्र वाहक	29200–92300	459456/–
52	श्री अरविन्द कुमार	पत्र वाहक	25500–81100	420912/–
53	श्री धीरेन्द्र सिंह	पत्र वाहक	25500–81100	420912/–
54	श्री विजय कुमार	सफाई नायक	5200–20200	199572/–
55	श्री दलजीतसिंह	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
56	श्री हेमन्तसिंह	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
57	श्री डी0सी0 धस्माना	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
58	श्री रामस्वरूप कोटनाला	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
59	श्री विक्रमसिह विष्ट	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
60	श्री हरेन्द्रसिंह चौहान	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
61	श्री मनोज कुमार जोशी	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
62	श्री रमेश यादव	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
63	श्री बृजमोहन गैरोला	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
64	श्री हरिबसन्तसिंह नेगी	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
65	श्री सुशील कुमार	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
66	श्री विमल कुमार नैथानी	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
67	श्री सुदर्शन कुमार	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
68	श्री सतीशचन्द्र	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
69	श्री असफाक अहमद	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
70	श्री नरेश कुमार शर्मा	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
71	श्री आर0एस0राणा	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
72	श्री अमितसिंह	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
73	श्री राजकुमार	वै0फार्मे0	78800–209200	1066224/–
74	श्री हरिलाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
75	श्री भगवानसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
76	श्री ज्ञानसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
77	श्री भगवानसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
78	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
79	श्रीमती आशादेवी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
80	श्री चिरंजीलाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
81	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–

82	श्री जसोदा लाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
83	श्री घुरीलाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
84	श्री सुरेन्द्रसिंह बुटोला	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
85	श्री जगमोहनसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
86	श्री मातवरसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
87	श्री गिरधारी सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
88	श्री दिनेश चन्द्र रावत	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
89	श्री केदारसिंह नेगी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
90	श्री जगमोहनसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
91	श्री वृजमोहन धूलिया	पशुधन सहायक	5200–20200	357987/–
92	श्री सीता राम	पशुधन सहायक	5200–20200	368376/–
93	श्रीमती लक्सूदेवी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
94	श्रीमती भगवतीदेवी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
95	श्री प्रेमबल्लभ नैथानी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
96	श्री कैलाशचन्द्र पोखरियाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
97	श्री सुरेन्द्रसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
98	श्री जगमोहनसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
99	श्री मातवर सिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
100	श्री सुमेरू	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
101	श्री शशीचन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
102	श्री कुलदीपसिंह रावत	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
103	श्री सुरेन्द्रसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
104	श्री पूर्णसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
105	श्री सुधाकर नैथानी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
106	श्री ओमप्रकाश जदली	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
107	श्री मोहनलाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
108	श्री बाबूराम	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
109	श्री राजेसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
110	श्री हिम्मतसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
111	श्री जयदेव नैथानी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
112	श्री हरीशचन्द्र चौहान	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
113	श्री रामकृष्ण खन्तवाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
114	श्री भाष्करानन्द कण्डवाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
115	श्री बिजय कुमार	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
116	श्री दिनेश कुमार रावत	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
117	श्रीमती सुषमा देवी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
118	श्री मंगलसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
119	श्री बलवीरसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
120	श्री साधूराम नैथानी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
121	श्री सुरेशचन्द्र	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
122	श्री भगतसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
123	श्री ननका	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
124	श्री हरिशचन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–

125	श्री चन्द्रकिशोर काला	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
126	श्रीमती भागेश्वरीदेवी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
127	श्री शिवप्रकाश	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
128	श्री छोटेसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
129	श्रीमती हेमलता चौहान	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
130	श्री बालमसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
131	श्री जगदम्बाप्रसाद नैथानी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
132	श्री महेशचन्द्र नैथानी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
133	श्री कल्याणसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
134	श्री भरतसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
135	श्री सुखदेव प्रसाद	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
136	श्री ताजवरसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
137	श्री मोहनसिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
138	श्री आनन्द सिंह	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
139	श्रीमती भगवती देवी	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
140	श्री प्रमोद कुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
141	श्रीमती पीताम्बरीदेवी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
142	श्री गिरीशचन्द्र	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
143	श्री विनोद कुमार विष्ट	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
144	श्री विनोद कुमार जदली	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
145	श्री सुरेन्द्रसिंह	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
146	श्री कुमारी रेखा	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
147	श्री ध्यानसिंह	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
148	श्री क्रान्ति कुमार	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
149	श्री दुर्गाप्रसाद	पशुधन सहायक	29200–92300	459456/–
150	श्री कमलेश	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
151	श्रीमती पार्वतीदेवी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
152	श्रीमती देवेश्वरी देवी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
153	श्री आशीष कुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
154	श्री मुकेश कुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
155	श्री सुरेशचन्द्र मंमगाई	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
156	श्री राजकुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
157	श्री जगमोहन सिह गुसांई	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
158	श्री अर्जुन सिह रावत	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
159	श्री राजेन्द्र सिह नेगी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
160	श्री नरेश कुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
161	श्री राहुल कुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
162	श्री सोबन सिह भण्डारी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
163	श्रीमती इन्दू जोशी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
164	श्रीमती गोदाम्बरी देवी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
165	श्रीमती अनिता नौडियाल	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
166	श्री जगतसिंह	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
167	श्री धीरज सिह	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–

168	श्री श्री बलबीर सिहं	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
169	श्री जयकिशन	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
170	श्रीमती शोभा देवी	पशुधन सहायक	25500–81100	409752/–
171	**श्री योगेश मोहन बडोनी**	**प्लांट मैकेनिक**	44900–142400	750384/–
172	श्री लक्ष्मीदत्त बेलवाल	प्लांट मैकेनिक	47600–151100	866880/–
173	श्री आनन्द सिंह	प्लांट मैकेनिक	47600–151100	819144/–
174	श्री जीतेन्द्र दत्त जोशी	प्लांट मैकेनिक	44900–142400	750384/–
175	**श्री रामकृष्ण नौटियाल**	**क्षेत्र प्रसार अधिकारी**	56100–177500	866880/–
176	श्री बीरेन्द्र सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
177	श्री माधवलाल ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
178	श्री राजेन्द्र प्रसाद कपटियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
179	श्री हरीशचन्द्र बमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
180	श्री दलीप सिंह	**क्षेत्र प्रसार अधिकारी**	56100–177500	866880/–
181	श्री गणेश चन्द्र जोशी	**क्षेत्र प्रसार अधिकारी**	56100–177500	866880/–
182	श्री हर्षमोहन सिह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
183	श्री अब्बल सिंह चौहान	**क्षेत्र प्रसार अधिकारी**	47600–151100	704784/–
184	श्री एस0के0 मैठाणी	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
185	श्री आर0के0 कन्डवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
186	श्री सन्तोष कुमार देवलियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
187	श्री बृजमोहन सिंह गुसांई	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
188	श्री डबबलसिंह	ड्रेसर	29200–92300	459456/–
189	श्री ओमप्रकाश राज	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900–142400	697800/–
190	श्री गोपालसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900–142400	697800/–
191	श्री कलमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900–142400	697800/–
192	श्री अमित बहुखण्डी	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900–142400	697800/–
193	श्री भूपेन्द्रसिंह विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900–142400	697800/–
194	श्री संजय नैथानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900–142400	697800/–
195	श्री राजेन्द्रसिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
196	श्री राज गुरू दत्त	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
197	श्री आशा राम उनियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
198	श्री हेमन्त भारद्वाज	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
199	श्री डी0के0ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
200	श्री विनय कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–
201	श्री रजनीश कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–
202	श्री सुमन्तसिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–
203	श्री मनोज कुमार जयसवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–
204	श्री शैलेश विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600–151100	704784/–
205	श्री गजेसिंह कण्डारी	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–
206	श्री हरिबल्लभ जखमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–
207	श्री प्रेमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	557352/–

208	श्री रमेश कुमार रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	47600—151100	704784/—
209	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
210	श्री रमेश चन्द्र बक्स	**क्षेत्र प्रसार अधिकारी**	56100—177500	866880/—
211	श्री सुभाष चन्द्र गौड	प0प्र0अ0 कुक्कुट	47600—151100	679680/—
212	**श्री बीरेन्द्र सिंह मनियारी**	**प्रयोगशाला सहायक**	47600—151100	704784/—
213	**श्री जयानन्द बहुगुणा**	**प्रयोगशाला सहायक**	47600—151100	704784/—
214	श्री अजय कुमार सुन्द्रियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
215	श्रीमती ममता रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
216	श्री प्रेम सिह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300—34800	398820/—
217	श्री यथवन्त सिह रावत	**क्षेत्र प्रसार अधिकारी**	56100—177500	866880/—
218	श्री हरीश गौनियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900—142400	697800/—
219	श्री विजय पाल शाह	पशुधन प्रसार अधिकारी	44900—142400	697800/—
220	श्रीमती सपना रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
221	श्री ललित कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
222	श्री मुकेश सिह	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
223	श्री सनन्द कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—
224	श्री शेखर शर्मा	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400—112400	557352/—

मैनुअल – 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिर्पोटों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वर्ष 2016–17

जिला योजना आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या–07 का वर्ष 2016–17 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

(2515001029108)

क0सं0	योजना/मद का नाम	वर्ष 2016–17 में आवंटन	वर्ष 2016–17 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	42–अन्य व्यय–अनुदान संख्या–07 1–प0चि0/प0से0के0 भवन निर्माण 2–प0चि0 हेतु दवा वैक्सीन/शिवरो का आयोजन 3–उत्तराखण्ड प्रदेश में चारा विकास कार्यरत का सघनीकरण 4–ग्राम्य प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदशनियों का आयोजन–	35.00 56.37 3.80 3.85	35.00 56.37 3.80 3.85	– – – –	
	42– अन्य व्यय –योग–	99.02	99.02	–	–
2	42–अन्य व्यय–अनुदान संख्या 30 1–प0चि0हेतु दवा वैक्सीन एवं शिविरों का आयोजन– 2–उत्तराखण्ड राज्य में चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण 3–ग्राम्य प्रसार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदशनियों का आयोजन 4–अनुसूचित जाति लाभार्थियों को रोजगारपकर कुक्कुट पालन योजना	15.30 1.00 1.40 21.00	15.30 1.00 1.40 21.00	– – – –	
	42– अन्य व्यय–कुल योग–	38.70	38.70	–	
3	42–अन्य व्यय–अनुदान संख्या 31– 1–प0चि0हेतु दवा औषधि वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन	5.00	5.00	–	
	42– अन्य व्यय–योग–	5.00	5.00	–	,
	कुल योग–	142.72	142.72	–	

राज्य सैक्टर आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या–28 का वर्ष 2016–17 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क0सं0	योजना/मद का नाम	वर्ष 2016–17 में आवंटन	वर्ष 2016–17 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 101–पशुचिकित्सा सेवाये एवं पशु स्वास्थ्य 09–पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना 00–				
	08–कार्यालय व्यय	334	34	–	
	09–विद्युत 10– जलकर	20 10	20 10		
	11–लेखन सामग्री	30	30	–	
	12–कार्यालय फर्नीचर	30	30	–	
	17–किराया	10	10	–	
	26–मशीन साज–सज्जा	22	22	–	
	27–चिकित्सा व्यय	50	46	04	
	39–औषधि तथा रसायन	180	180	–	
	42–अन्य व्यय	10	10	–	
	योग अनुदान संख्या–28 का योगः–	396	391	05	

राज्य सैक्टर आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या–30 का वर्ष 2016–17 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क0सं0	योजना/मद का नाम	वर्ष 2016–17 में आवंटन	वर्ष 2016–17	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 101–पशुचिकित्सा सेवाये एवं पशु स्वास्थ्य 02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 07–पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	–	–	–	
	08–कार्यालय व्यय	05	05	–	–
	09– विघुत देयक	05	05	–	–
	10–जलकर	01	01	–	–
	11– लेखन	05	05	–	–
	12– फर्नीचर	19	19	–	–
	16–व्यावसायिक शुल्क	–	–	–	–
	17–किराया	05	05	–	–
	26–मशीन साज–सज्जा	01	01	–	–
	31–सामग्री सम्पूर्ति	03	03	–	–
	39–औषधि तथा रसायन	20	20	–	–
	या42–अन्य व्यय	02	02	–	–
	योग–	66	66	–	

राज्य सैक्टर आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या–28 का वर्ष 2016–17 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क0सं0	योजना/मद का नाम	वर्ष 2016–17 आवंटन	वर्ष 2016–17 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 104– भेड तथा उन विकास 04– अहिल्यावाई होल्कर भेड बकरी योजना 00–	10.09470	10.0470		
	50– सब्सिडी	–	–	–	–
2	2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 106–अन्य पशुधन विकास 07–निराश्रित गौसदनों की स्थापना 00–	9.28446	9.28446	–	–
	42–अन्य व्यय	–	–	–	–
3	अनुदान सं0–30 2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 106– अन्य प्शुधन विकास 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 06–अनुसूचित जातियों` लिए बकरी पालन योजना	10.05	10.05	–	–
	42–अन्य व्यय	–	–	–	–
4	अनुदान सं0–30 2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 106– अन्य प्शुधन विकास 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 11–अनुसूचित जातियों के लिए गौ पालन योजना	20.16	20.16	– –	–
	42–अन्य व्यय	–	–	–	–

केन्द्र पोषित येाजनाएं आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या–28 का वर्ष 2016–17 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क्र0सं0	योजना/मद का नाम	वर्ष 2016–17 में आवंटन	वर्ष 2016–17में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 101–पशु चिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य, 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 06–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(75प्रतिशत केन्द्र पोषित)				
	42–अन्य व्यय	6.74	6.74		–
2	अनुदान संख्या–30 2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 101–पशु चिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य, 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 06–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(75प्रतिशत केन्द्र पोषित)				
	42–अन्य व्यय	1.72	1.72		–
3	अनुदान संख्या–28 2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 02–प्शु पालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना				
	01–वेतन	278	295		17 हजार कोषागार से आहरित
	03–महंगाई भत्ता	239	199	40	
	04–या़त्रा भत्ता	25	25	–	
	06–अन्य भत्ते	45	43	02	11 हजार कोषागार द्वारा ऋणात्मक आहरण
	योगः–	587	562	42	
5	अनुदान संख्या–28 2403–पशुपालन आयोजनागत 00– 101–पशु चिकित्सा सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 15– प्शु स्वास्थ्य एवं रोग नियत्रंण योजना				
	42–'अन्य व्यय	188	188	–	–
	केन्द पोषित	188	188	–	
6	अनुदान संख्या–28 2403–00				

	101–पशुचिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थय 01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुर्ननिर्धारण योजनायें 03–उत्तराखण्ड राज्य में आर0पीण्व पी0पी0आर रोग उन्मूलन सर्विलेन्स 04–याभा भत्ता 08–कार्यालय व्यय 15–यो0अनु0 42–अन्य व्यय	04 12 10 02	03 12 10 02	01 – – –	
	योग–	28	27	01	
7	अनुदान संख्या–28 2403––00101–प0चि0सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुननिर्धारित योजनाए 16–नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना 42–अन्य व्यय	492	492	–	
	अनुदान संख्या–30 2403–00101–प0चि0सेवायें एवं स्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुननिर्धारित योजना 13–नैशनल लाईवस्टाक मिशन 42–अन्य व्यय	69750	69750	–	
	योग–	69750	69750	–	
8	अनुदान संख्या–30 2403–00101–प0चि0सेवायें एवं स्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुननिर्धारित योजना 09–पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम 42–अन्य व्यय	14	14	–	
9	अनुदान संख्या–30 2403–00101–प0चि0सेवायें एवं स्वास्थ्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुननिर्धारित योजना 09–पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र पोषित 42–अन्य व्यय	63	63	–	
	योग–	63	63	–	

मैनुअल – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा– ग्राहयों के ब्यौरे सम्मिलित है।

मैनुअल 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता की विशिष्टियां

पशुओ के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाव

यह रोग जो बैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, संक्रामक रोग कहलातें है छूत से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग होते है। पशुपालक जानते है कि संक्रामक रोगो द्वारा दुधारू पशुओ में शारीरिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है।

1. खुरपका मॅहपका रोगः

यह एक भयानक संक्रामक वाइरस जनित रोग है। रोग में तेज बुखार आता है जो 104 डिग्री फैरेनाइट तक पहुॅचता है। मुॅह से लार टपकती है, खुर मे घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खडा नही रह पाता है लंगडाकर चलता है घाव में कीडे पड जाते है पशु खाना पीना छोड देता है, दूध के उत्लपादन में कमी आ जाती है।

बचाव :– इसका टीका पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल द्वारा रियायती दर पर लगाया जाता है, यह टीका वर्शा आरम्भ में हाने से पहले मई–जून में लगवा लेना चाहिए यह टीका लगवा कर महामारी से बचा जा सकता है। यदि बीमारी हो जाए तो बीमार पशु स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए।

2. पोंकनी रोगः

यह भी वाइरस जनित भयानक रोग है इससे काफी पशुओ की मृत्यु हो जाती है बीमार में बुखार 105 से 107 डिग्री तक आता है, दस्त आते है, मुॅह,जीभ तक आंतो में छाले पड जाते है। पशु कमजोर हो जाता है ऑखे बैठ जाती है, नाक,ऑख तथा मुॅह से पानी गिरने लगता है, पशु कमजोर होकर लडखडाकर गिर जाता है और मर जाता है।

बचाव :–स्वस्थ पशुओ में बचाव के लिए टीका लगवा लेना आवश्यक है। यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है। इससे जी.टी.बी. तथा लेपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है। आजकल रिन्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर.पी. खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नही कराया जा रहा है ं

3. माता रेगः

यह विशाणु जनित रेाग है इसमे अयन एवं थनो में छाले पड जाते है। बाद में घाव बन जाते है। जिससे थनैला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है।

बचाव :–बीमार पशु का अलग रखना चाहिए तथा घाव में ऐन्टीसेप्टिक मल्हम लगाना चाहिए।

4. रैबीजः

यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है यह रोग वाइरस जनित है। प्रमुख लक्षणो में पशु का उग्र होना, मुह से लार टपकना, रोगी पशु कंकड तथा मिट्टी को चबाने का प्रयास करता है अंत में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है । बीमार पशु की लार लगने से मनुश्य में यह रोग फैल जाता है।

बचाव :–पशु के घाव को कार्बोलिक एसिड साबुन द्वारा साफ करना चाहिए। उसके बाद एन्टीरेबीज का टीका लगवाना चाहिए क्योकि लक्षण पैदा होने पर उपचार संभव हो जाता है। यह टीका राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है।

5. गलाघोंटूः

जीवाणु जनित रोग है। यह पॉस्टुरेल्ला जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग में 104 से 106 डिग्री तक बुखार आता है, गले में सूजन आती है, सॉस लेने मे कठिनाई होती है। उपचार न कराने पर पशु 24 घंटें में मर जाता है। यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है परन्तु वर्श मे कभी भी हो सकता है।

बचाव :–रोग की रोकथाम के लिए पशुओ को प्रतिवर्श मई–जून माह में टीका लगवा लेना चाहिए। रोग हो जाने पर बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार कराये।

6. लंगडिया बुखारः

यह भी जीवाणु जनित रोग है। यह क्लोस्ट्रिडियम चोबिआई द्वारा फैलता है मुख्यतः ये रोग छः महीने से दो वर्श तक की आयु के पशुओ में होता है। प्रमुख लक्षणो में तेज बुखर आना, पैर मे सूजन आना और सूजन में गैस का भरना है, सूजन के दबाने से चरचराहट की आवाज आती है।

बचाव :–रोग की रोगथाम के लिए पशुओ में अगस्त–सितम्बर में टीका लगाना चाहिए। बीमार पशु का एन्टी ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए। मरे पशु को जमीन में गाढ देते है जिससे संक्रामक न हो सके।

7. जहरी बुखारः

यह रोग 'बैसिलस–एन्थ्रेसिस' नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणो में 105 से 108 डिग्री फैरेनाइट तक तेज बुखार आता है तिल्ली बढ जाती है तथा खून का रंग काला हो जाता है। नाखूनो से खून निकलता है। अंततः 24–48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यो में भी फैल जाता है। यह जूनोटिक रोग है।

बचाव :–रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पशुओ में अगस्त माह में एन्थ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए मरे हुए पशु की खाल नही निकालनी चाहिए और शव को गहरे खड्डे मे चूना डालकर दबा देना चाहिए

इस समस्त रोगो के लक्षण उत्पन्न होने पर पशुचिकित्सक की सलाह से उपचार कराये जिससे पशुपालन शासन द्वारा उपलब्ध सेवाओ का लाभ उठाकर आर्थिक आनि से बच सके।

पशुपालन कैसे करें

पशु का आवास व्यवस्था :–

1. पशुशाला का निर्माण ऊॅचे स्थान पर करें।
2. पशु के खडे होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला हो, तथा चिकना न हो वरना पशु के फिसलने का खतरा रहता है।
3. खुला हवादार स्थान हो तथा फर्ष पक्का हो।
4. पानी के स्तर से ऊचे वाले स्थान पर पशुशाला बनाये।
5. गोबर, पेशाब गड्ढे मे एकत्र कर खाद बनानी चाहिए।
6. पशुशाला की सफाइ नियमित रूप से दो बार करे।
7. पशुशाला के पास छायादार वृक्ष हो।
8. पशु को स्नान कराने की व्यवस्था हो।

कृत्रिम गर्भाधान क्यों अपनाये :–

1. उच्च गुणवत्ता के साण्ड सरलता से नही मिलते।
2. प्रत्येक साण्ड के रखरखाव एवं चारे पर अधिक खर्च आता है।
3. छोटे आकार के पशुओ में नैसर्गिक प्रजनन में परेषानी होती है।
4. साण्ड द्वारा प्रजनन से जननअंग की बीमारी फैलती है।
5. वीर्य की जॉच साण्ड में सम्भव नही हो पाती है कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व वीर्य जॉच कर प्रयोग करते है।
6. साण्ड मे एक बार के वीर्यदान से एक पशु गर्भित होता है जबकि उसी वीर्य की मात्रा से कृ0ग0 द्वारा 20–30 पशु गर्भित किये जाते है।
7. साण्ड की मृत्यु के पष्चात् भी उसकी संतति प्राप्त की जा सकती है।

8. किसी दूरस्थ स्थानो पर पहाडो पर भी कृ0ग0 द्वारा संतति आसानी से प्राप्त की जा सकती है ।
9. एक दिन में साण्ड द्वारा अधिकतम दो कवरिंग होती है जबकि कृ0ग0 द्वारा एक दिन में कितनी भी संख्या में पशुओ को गर्भित किया जा सकता है।

अच्छा दुग्ध उत्पादन – महत्वपूर्ण तथ्य :–

1. पशु का दुहान नियमित रूप से निश्चित समय पर करें।
2. दुहान से पूर्व अयन को लाल दवा के पानी से साफ करें।
3. दुहान का बर्तन ऊपर से आधा तिरछा/ढका हुआ हो।
4. दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथो को साबुन से स्वच्छ कर अथवा लाल दवा से धोकर किया जाय।
5. दुहान के समय शान्ति का माहौल हो, हल्का संगीत बजाने से अधिक उत्पादन मिलता है।
6. दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार मे पूरा करना चाहिए।
7. दूध की प्रारम्भिक धार प्रयोग में नही लानी चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए।
8. गर्मियो में दिन में एक बार पषु को नहलाये एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करें।
9. दुहान के समय गंध वाला आहार न खिलायें या ग्वालो का इत्र का प्रयोग नही करना चाहिए अन्यथा दूध से गंध आ जायेगी।

भारतीय पशुओ के आनुवांशिक पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता :–

2. भरतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी है।
3. भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है।
4. भारतीय नस्लो की बीमारियो के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।
5. नर बच्चो की कार्यक्षमता अधिक होती है।
6. भारतीय नस्लो में वसा का प्रतिशत अधिक होता है।
7. रखरखाव में कम खर्च आना।
8. डिस्टोकिया का प्रतिशत कम होना।

मुर्गियो के मुख्य रोग, लक्षण निदान, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण

मुर्गियों के मुख्य रोग निम्न प्रकार है :–

1. **रानीखेत :–** मुर्गियों में यह बीमारी सबसे घातक है। यह एक विशाणु से होती है वैसे तो यह रोग सभी आयु वर्ग में फेलता है परन्तु चूजों में यह अत्यधिक उग्र रूप से फेलता है। गले में घरघराहट,बलगम की शिकायत,स्वास लेने में कठिनाई,मुह खोलकर श्वांस शरीर की मांसपेषियों में कम्पकपाहट चलने में लंगडापन तथा पैरों में लकवा होना,तेज बुखार,बीट पानी जैसी पतली बदबुदार तथा पंख बिखर जाते है। कलंगी काली पड जाती है। सर,पैरों या पंजे के बीच कर लेती है। यदि पक्षी अंडे देने वाली हो तो उसके अण्डा उत्पादन में गिरावट,अण्डे का छिलका काफी पतला तथा उनका आकार भी कम होता है अदि लक्षण दिखाई देते है। इस रोग का कोई उपचार नही है। रोग होने पर षत प्रतिषत तक मृत्यु हो जाती है यदि समय पर टीकाकरण किया जोय तो रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। रानीखेत एफ वन स्अेन की बूंद नाक में तथा एक बूंद आंख में एक से छः दिन तक डाल दी जाये तो दो माह की उम्र तक रानीखेत से पक्षियों का बचाव किया जा कसता है। 6 से 8 सप्ताह बाद नयये पक्षियों को रानीखत का टीका लगा दिया जाता है और ऐसा करके पक्षियों को रानीखेत रोग से जीवन भर के लिये सुरक्षित कर लिया जाता है। बीमार पक्षियों को तुरन्त बदल दिया जाये तो बीमारी को फेलने से रोगा जा सकता है।

2. **मुर्गी चेचक :–** यह दूसरी मुख्य फलने वाली बीमारी है यह एक किस्म के विशाणु द्वारा होती है। यह सभी आयु के पक्षियों में होती है परन्तु बडी में अधिक होती है

लक्षण–भूख की कमी सुस्त सांस लेने में तकलीफ नाक या आंख से पानी आना,कलंगी,कर्णफूल और पैरों में चेचक के दाने पैदा होना,तेज बुखार ,कानों में झागदार पदार्थ जमा हो जाना,मुह में झिल्ली पैदा होना और यदि झिल्ली न निकाली गई तो दम घुटने लगता है। अण्डा उत्पादन गिर जाना,मृत्यु छोटे बच्चों में अधिक तथा बडों में कम होती है। इस बीमारी से 60ः पतिषत तक म1त्यु सम्भव है। इस रोग से बचाव के लिए आवष्यक है कि दो माह की उम्र पर फाउल पोक्स का टीका लगाया जाये। इस रोग से बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी जाती है। परन्तुं यदि रोग हो जाये तो स्वस्थ्य पक्षियों को तुरन्त बीमार पक्षियों से अलग कर टीका लगा दिया जाना चाहिये ,बाडों की सफाई तथा कीटाणुनाषक घोल का छिडकाव कर बीमार पक्षियों को सन्तुलित

आहार तथा पानी के साथ एन्ओबायोटिक तथा विटामिन्स दिये जाये। मुह में यदि झिल्ली हो गयी हो तो उसे निकाल देना चाहिये।

3. जुकाम लगना :– (फाउल कोराइजा)– यह जीवाणुओं द्वारा फेलने वाला रोग है जो अतिषीध्र मुर्गियों को अपनी पकड में ले लेता है इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में छीक आना,खांसना,सांस लेने में कठिनाई होना,सिर को ऊपर उठाना तथा चेहरे ,कर्णफूल में सूजन,आंख तथा नाक से दुर्गल्धित द्रव का निकलना,भूख में कमी हो जाना,अण्डों की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाना। रोग के उपचार के लिये सॅलयुक्त औशधियां आहार या पानी में देनी चाहिए। इसी के साथ–साथ अच्चे एन्ओवायोंक्सि भी दिये जाते है रोकथाम के लिये रोगग्रस्त पक्षियों को तुरन्त अलग कर देना चाहिए।

4. मुर्गी का हैचा रोग(फाउल कालरा) :– यह भी जीवाणुओं ,द्वारा होने वाला रोग है यह अधिकतर वर्शा .ऋतु में फेलता है जब बीमारी का प्रकोप होता है तो बिना लक्षण दिखाये काफी संख्या में मृत पाये जाते है इस बीमारी में हरे पीले दस्त भूख में कमी कभी–कभी सांस लेने में कठिनाई प्यास अधिक लगना जोडों में सूजन, कलंगी तथा कर्णफूल मे सूजन या काला पड जाना तथा भर मे गिरावट आने के लंक्षण दिखाई देते है। इससे कभी–कभी छः से आठ सप्ताह के आयु वर्ग की मुर्गियो मे रोग होता है परन्तु सामान्यतः बडी मुर्गियो मे ही यह रोग होता है। मृत्यु कभी कम कभी अधिक होती है रोग के उपचार में सल्फा दवाओ का प्रयोग किया जाता है एनटीवायोटिक द्वारा भी उपचार हो जाता है। रोग से बचाव के लिए डेढ माह से अधिक पक्षियो में फाउल कालरा का टीकस लगवा लेना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बीमारी के दौरान कुक्कुट गृहो मे स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए उचित व्यवस्था की जाये।

5. लकवे का रेाग (मैरिक्स डिजीज) :– यह विशाणुजनित रोग है इस बीमारी में भी मृत्यु दर अधिक होती है रोग के मुख्य लक्षण जो पाये जाते है उस के अनुसार बीमार पक्षियो को लकवा रोग पैदा हो जाता है व खा पी नही सकते। जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है यह बीमारी आमतौर से छोटी उम्र के पक्षियो (डेढ माह से दो माह) में अधिक होती है। बडे उम्र के पक्षियो में जो अण्डा देने वाली होती है, उनके पैरो तथा गर्दन में लकवा हो जाता है इन के भार में कमी हो जाती है, सांस लेने मे कठिनाइ होती है, तथा कभी–कभी दस्तो की षिकायत होती है इस रोग से बचाव के लिए एक दिन के बच्चो को एच.बी.टी. नामक वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। इससे जीवन पर्यन्त इस रोग से सुरक्षा हो जाती है हालांकि बीमारी पैदा हाने पर बीमार पक्षियो की चिकित्सा सम्भव नही परन्तु यदि स्वस्थ पक्षियो को अलग कर बाडो की सफाई, उन मे कीटाणुनाषक दवा का छिडकाव कर दिया जाये और बिछावन बदल दी जाये और मुर्गी बाडो मे स्वच्छ हवा का आवागमन पर्याप्त कर दिया जाये तो स्वस्थ पक्षियो को बीमार होने से बचाया जा सकता है।

6. चिचडी ज्वर (स्पाइरोकीटोसिस) :– इस रोग के कीटाणुओ की वजह चिचडिया हाती है। यह मुर्गियो की एक आम व खतरनाक बीमारी है। रोग के लक्षणेा में बीमार मुर्गियॉ अलग–अलग रहती है, सुस्त हो जाती है, पंख बिखर जाते है, पैरो व पंजो में सूजन आ जती है, कमजोर हो जाती है तथा बुखार हो जाता है, ठीक से खडी नही हो पाती, सिर झुका देती है, पानी अधिक पीती है। हरे रंग के तीव्र दस्त, तथा मरने से पहले शरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। रेग से बचाव के लिए छः सप्ताह से अधिक आयु पर वैक्सीन लगायी जाती है। बीमार होने पर एन्टीवायोटिक का टीका तीन दिन तक लगवाना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बाडापे से चिचडियो को नश्ट कर दे इसके लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग या फिर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना होगा।

7. दीर्घकालीन ष्वांस रोग (सी0आर0डी0) :– यह भी संक्रामक रोग है जो अक्सर सर्दियो में होता है। इस रोग के फैलने पर पक्षियो में मृत्यु दर 40 प्रतिशत तक हो सकती है रोग के लक्षण, भूख कम लगना, सॉस लेने मे कठिनाई, ऑख से तथा नाक से पानी आना तथा गले के अन्दर पीले रंग का पदार्थ जमा होना तथा एक विषेश प्रकार की आवाज करना है। इस रोग के फैलने में आहार की कमी, परजीवियो का प्रकोप, विटामिन ए की कमी तथा कुक्कुटषालाओ में नमी अधिक होना सहायक होते है। रेागी मुर्गियो का एन्टीवायेाटिक तथा विटामिन्स द्वारा उपचार शुरू कर देना चाहिए। आहार में हरी सब्जियो या बरसीम का प्रयोग कराये। रोग नियन्त्रण हेतु अण्डो की सफाई जर विषेश ध्यान दे क्योकि बीमारी अण्डो के द्वारा खून में फैलती है।

9. खूनी दस्त लगना (कोक्सीडियोसिस) :– यह बीमारी प्रोटोजोवा कीटाणुओ द्वारा उत्पन्न होती है यह बीमारी कम आयु के चूजो में अक्सर होती है इस रोग के लक्षण जैसे पक्षी की बीट के साथ खून का आना खून मिले दस्त होना, कलंगी का सूखा पड जाना पक्षियो का उधना, भूख में कमी, अण्डा देने में कमी, पक्षियो का कमजोर हो जाना, यदि रोग की चिकित्सा षीघ्र न की जाये तो मृत्यु दर मे वृद्धि हो जाना, बीमारी के उपचार के लिए पक्षियो को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए मुर्गी बाउी

को सूखा रखा जाये तथा बिछावन को पलटते रहना चाहिए या उसमें चूना छिडक दें। मुर्गी बाडो में शुद्ध हवा की उचित व्यवस्था करें। बचाव हेतु 15 दिन की आयु पर चूजो को किसी भी काक्सीडिया पर प्रभावी दवा का कोर्स तीन दिन तक दें पुनः एक माह की आयु पर यह कोर्स दुबारा दें। इसके बाद दो तीन माह तक प्रत्येक माह देते रहें।

9.एस्केरियासिस :– यह रोग गोल कृमि के कारण होता है तो आंतों में पाई जाती है यह गोल तथा लम्बे होते है जो कि आंतों में गुच्छे बना लेते है इनके कारण पिक्षयों के शरीर के भार में कमी,अण्डा देने की क्षमता गिर जाना,पक्षी सुस्त व कमजोर हो जाते है इसके बचाव व उपचार के लिए कृमिनाशक दवापान प्रतिमाह कराया जाना चाहिए।

10.शरीर पर लगने वाले बाह्य परजीवी :– चिचडी,जूं,पिस्सू मुर्गी के शरीर के ऊपर पाये जाते है। यह मुर्गी बाडों के दरारों में भी रहते है जहां से रात में निकल कर मुर्गी पर आक्रमण कर देते है यह उनका खून चूसते है जिस कारण चूजो में मृत्यु भी हो जाती है। निन्त्रयण के लिए बाडों का सारा कूडा करकट जला दें,नियमित रूप से बाडों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। जिन मुर्गियों पर कीडे दिखाई दें उन पर भी कीटनाशक दवा का छिडकाव करायें।

नागरिक अधिकार पत्र
पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्श 1944 में की गई। इससे पूर्व सिविल वेटरीनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशुरोग नियंत्रण एवं अष्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशुपालन विभाग के पृथक रूप से स्थापना होने पर सर्वांगीण विकास करने हेतु पशुचिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ–साथ पशुधन विकास प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो किसानो के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमो एवं योजनाओ का उद्देष्य :–

1. **समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमो द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग।**
2. **विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियो से विभिनन पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजातियो का संरक्षण एवं संवर्धन करना।**
3. **पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना, तथा उन्नत पशु प्रबन्ध विधियों का प्रचार–प्रसार करना।**
4. **ग्रामीण क्षेत्रो के पशुपालको का गॉवो में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास, और उसमें व्यवसायिक विविधीकरण हेतु चेतना जागृति करना।**
5. **गो नस्ल, गोवंशीय पशुओ की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना ।**
6. **प्रदेष में विभिन्न पशुधन उत्पादो की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा व मॉस आदि का उत्पादन बढाना तथा पशुपालको को उनके उत्पादो का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना।**

पशुपालको एवं ग्रामीणो के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता :–

पशुपालन विभाग द्वारा किसानो के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है –

1. पशुचिकित्सा एवं रोगो के रोकथाम हेतु निरन्तर सेवाये 21 पशुचिकित्सालयो, पशुसेवा केन्द्रो व ''द'' श्रेणी औशधालयो के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में पशुचिकित्सालय तथा पशुसेवा केन्द्र उपलब्ध है।
2. विशय विशेषज्ञो द्वारा पशुचिकित्सालय शल्य क्रिया एवं एक्स–रे आदि विभिन्न रोग निदान सेवाऐं पशुपालको को पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पॉलीक्लीनिक की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
3. विभिनन पशु बीमारियो के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। गलाघोटू, बी0क्यू0, खुरपका–मुॅहपका, पी0पी0आर0रोग, शीप पॉक्स, एफ0पी0, आर0डी0 का टीकाकरण सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशुमेला तथा हाटों में पषुओं का संक्रामक रोगो से बचाव हेतु टीका करना अनिवार्य किया जा रहा है।
4. पशुओ में उत्पन्न होने वाली बीमारियो के निदान हेतु रोगो की जॉच/पैथोलोजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
5. पशुओ में खुरपंका–मुॅहपका बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पषुपालक को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
6. रिन्डर पेस्ट घातक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, परन्तु इस बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से निरन्तर सीरोसर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग किया जा रहा है।
7. निदेशालय स्थित डिजीज सर्वेलेन्स एवं मानिटरिंग सेल द्वारा प्रदेष में पशुओ की 10 प्रमुख बीमारी तथा अन्य प्रचलित बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से रोग सर्वेलेन्स का कार्य निस्पादित किया जा रहा है।
8. वर्तमान समय में बाझपन पशुओ उर्वरकता मं ह्रास की जटिल समस्या हो रही है। जिसके निवारण हेतु विशेष बाझंपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालको को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से गायो एवं भैंसो में प्रजनन कार्य अतिहिमिकृत वीर्य तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है। प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ करने हेतु उत्तरॉचल पशुधन विकास परिशद् का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से गाय, भैंस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिए विशेष सुविधा कराई जा रही है।
10. प्रजनन आच्छादन को 23.00 प्रतिषत से बढाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्शो हेतु प ÷पषु प्रजनन नीति बनाई गई है। ऊपर वर्णित विभागीय संस्थाओ के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाए उपलब्ध कराई जा रही है। कृशको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वरोजगार सृजन कर पैरावेट की व्यवस्था की गई है।
11. प्रदेष में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गोवध निवारण अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है।

12. पंजीकृत गोशालाओ का विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा स्वदेशी पशुओ के संरक्षण के लिए गोशालाओ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
13. हरे चारे की व्यवस्था में बायोमास, प्रमाणित चार बीज उत्पादन, मिनीकिटों द्वारा चार प्रदर्शन तथा सिल्वीपाश्चर विकास पर बल देतें उन्नतशील चारा बीज के मिनीकिटों का वितरण किया जा रहा है।
14. भेड प्रजनन कार्यक्रम में सामूहिक दवापान आदि की सुविधा उत्तरॉचल भेड विकास बार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
15. बेरोजगारे को रोजगार प्रदानप करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओ के माध्यम से प्रदेश के युवक युवतियो को लाभान्वित करने के लिए मिनी डेयरी, बकरी, भेड, सूकर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना कराई जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा उनके लिए उक्त हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।
16. प्रदेश के नागरिको को आरोग्यदायी एवं स्वच्छ मांस उपलब्ध कराने हेतु वधषालाओ पर विभाग द्वारा गुणवत्ता मांस उत्पादन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जा रही है।

मैनुअल – 14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसमें उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

1. फैक्स/ई0 मेल/वीडियों कान्फ्रेंस के द्वारा सूचनाऐं भेजी जाती हैं।

मैनुअल – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध
सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी
पुस्तकालय या वाचन कक्ष के लोग उपयोग
के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण
घण्टे सम्मिलित है।

1. अखबार द्वारा
2. प्रदर्शनी द्वारा
3. सूचना पट द्वारा
4. विभागीय मैनूअल/गोष्टियों द्वारा

मैनुअल – 16

लोक सूचना अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी/बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पौडी

1. लोक सूचना अधिकारी :– श्री गुणानन्द, बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
   दूरभाष नम्बर – 951368–223084
   फैक्स नम्बर – 01368–223084
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी – श्री मनमोहन सिहं रावत, प्रशासनिक अधिकारी
   फैक्स नम्बर – 01368–223084

मैनुअल – 17

ऐसी अन्य सूचनाऐं जो विहित की जाय।

<u>मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी से सम्बन्धित सूचना के अधिकार से सम्बन्धित मैनुअल।</u>

1:– पशु चिकित्सा – विभागीय संस्थाओं के क्षेत्रान्तर्गत पशुओं के रोगों का निदान एवं उपचार कार्य सम्पापदित किया जा रहा हैं ।

2:– बधियाकरण – अनुपयोगी एवं निम्न प्रजनन क्षमता के स्थानीय साण्डों का वैज्ञानिक विधि से बधियाकरण करके कम गुणवता के जर्मरलाज्म को फैलाने से रोकना जिससे नस्ल सुधार कार्यक्रम को प्रदेस मे और त्रीव गति से चलाया जा सके ।

3:–टीकाकरणः– पशुओं मे होने वाले भयानक संक्रामक रोगों जैसे एफ0एम0डी0,गला घोटू,ब्लेक क्वार्टर पी0पी0आर0 आदि रोगों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाना जिससे बहुमूल्य पशुओं को हानि से रोका जा सकें ।

4:–दवापान एवं दवा स्नानः– पशुओंमे होने वाले अन्त पारजीव एवं बाहय पारजीवी से बचाव हेतु दवापान एवं दवा स्थानकी सुविधा मुहिया कराकर फ्युओं के उत्पादन एवं शारीरिक क्षमता मे वृद्वि करना ।

5:– कृत्रिम गर्भाधानः– उत्तरांचल लाइब स्टाक डेपलपमेन्ट बोर्ड के सहयोंग से जनपद के 226 कृत्रिम गर्भाधान केन्दों द्वारा उच्च गुणवत्त के सीमन के द्वारा गाय/भैसों मे नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं ।

6:–नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रमः– जनपद के क्षेत्रान्तर्गत दूर–दराज के क्षेत्रों मे उत्तरांचल लाइबस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्डद्वारा नैसर्गिक प्रजनन हेतु उन्नत नस्ल के गाय एवं भैसों का वितरण करवा कर नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

7:–भेडों मे नस्ल सुधार कार्यक्रमः– उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से भेडों मे नस्ल सुधार हेतु जनपद मे फ्यु पालकों को उन्नत नस्ल के मेढें न्युल्क वितरित किये जा रहे हैं ।

8:–ग्रामीण कुक्कुट विकास परियोजना– जनपद के क्षेत्राान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे कुक्कुट वितरण का कार्यक्रम ग्रामीण परिवेस मे उच्च गुणवता का मांस एवं अण्डों की उपलब्धता सुनिचिचित की जा रही हैं ।

9:–चारा मिनीकिट वितरणः– उच्च गुणवता के चारा बीजों का फ्यु पालकों मे वितरण किया जा रहा हें । जिससे फ्युवों को पोष्टिक हरा चारा उपलब्ध हो सके, हरें चारे के उत्पादन से दुग्ध उत्पादन मे वृद्वि की जा रही हैं ।

10:– बांझपन कैम्प का आयोजनः– ग्रामीण स्तर पर फ्युवों मे होने वाले बांझपन कम उत्पादकता के निवारण हेतु फ्यु बांझपन कैम्प का आयोजन किया जा रहा हैं ।

11:– फ्युपालन गोष्ठी एवं फ्यु प्रर्दर्यनी– फ्यु पालक को रोजगार परक एवं आर्थिक उन्नति के लिए फ्यु पालन गोष्ठी एवं फ्यु प्रर्दर्यनी का आयोजन किया जाता हैं ताकि जनता मे जागरूकता लाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहिया कराया जा सके ।

जनपद पौडी गढवाल वर्ष 2012 की (19 वी) पशु गणना के अनुसार कुल पशु संख्या 663118 हैं। विकास खण्डवार पशुओं की संख्या निम्न प्रकार हैं

क्र0सं0	*विकास खण्ड का*	*गौवंसीय*	*महिसवंसीय*	*भेड*	*बकरी*	*घोडे*	*खच्चर*	*गधे*	*सुकर*	*कुल पशु*
1	*पौड़ी*	*19078*	*1256*	*603*	*5569*	*50*	*55*	*17*	*200*	*26828*
2	*दुगड्डा*	*33508*	*3000*	*2978*	*13668*	*106*	*205*	*41*	*413*	*53919*
3	*पोखड़ा*	*18514*	*698*	*1389*	*6392*	*63*	*50*	*00*	*00*	*27106*
4	*थलीसैण*	*40572*	*9329*	*3468*	*24268*	*50*	*50*	*15*	*00*	*77752*
5	*द्वारीखाल*	*34508*	*806*	*2828*	*17568*	*56*	*205*	*20*	*22*	*56013*
6	*रिखणीखाल*	*31706*	*682*	*645*	*9724*	*37*	*94*	*00*	*00*	*42888*
7	*कल्जीखाल*	*29682*	*500*	*1019*	*10300*	*17*	*68*	*85*	*00*	*41671*
8	*कोट*	*18883*	*1000*	*252*	*11585*	*77*	*64*	*24*	*04*	*31889*
9	*बीरोखाल*	*32457*	*5893*	*2500*	*8743*	*50*	*209*	*00*	*00*	*49852*
10	*एकेस्वर*	*32270*	*2000*	*4071*	*10139*	*04*	*29*	*03*	*00*	*48516*
11	*जहरीखाल*	*28983*	*500*	*999*	*7289*	*50*	*80*	*00*	*00*	*37901*
12	*खिर्सू*	*10708*	*1000*	*100*	*3510*	*75*	*44*	*25*	*00*	*15462*
13	*यमकेस्वर*	*34696*	*2179*	*752*	*23098*	*99*	*256*	*00*	*32*	*61112*
14	*नैनीड़ाडा*	*35104*	*400*	*2349*	*14839*	*22*	*330*	*00*	*00*	*53044*
15	*पाबौं*	*27301*	*280*	*2459*	*9013*	*11*	*86*	*00*	*15*	*39165*
	योग	*427970*	*29529*	*26412*	*175705*	*767*	*1825*	*230*	*686*	*663118*

1–2–उददेश्य –पशु पालन विभाग के माध्यम से फ्यु पालकों को दी जाने वाली सुविधावों/कार्य प्रणाली की जानकारी व रोग निदान की सुविधा प्रदान करना ।

1–3– उपयोगिता–यह हस्तपुस्तिका फ्यु पालन व्यवसाय से जुडे व्यकितयों / राजकीय संस्थावों / गैर राजकीय संस्थावों के लिए उपयोगी हैं ।

1–4, प्रारूप– इस हस्त पुस्तिका के प्रथम पृष्ट पर प्रारूपों का विवरण प्रस्तुत हैं
1–5– परिभाषायें –

0– मु0प0चि0अ0	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ।
0– प0चि0अ0	पशु चिकित्साधिकारी ।
0–प0प्र0अ0	पशुधन प्रसार अधिकारी ।

1–6,विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क व्यक्ति –

0–पशुधन प्रसार अधिकारी(संस्थाओं पर तैनात)
0–पशु चिकित्साधिकारी (फ्यु चिकित्सालयों पर)
0–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी–फ्यु पालन विभाग ।
0– उपनिदेसक,पशुपालन विभाग,गढवाल मण्डल–पौडी ।
0–अपर निदेसक,पशुपालन विभाग उत्तराचंल गोपेस्वर–चमोली ।

1–7,अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त करने की विधि एवं चुल्क–कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनायें क्रमांक 1–6 पर अकिंत अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती हैं चुल्क से सम्बन्धित सूचना शासन के निर्धारण उपरान्त उपरोक्तानुसार प्राप्त की जा सकती हैं ।

पशुपालन विभाग जनपद पौड़ी गढ़वाल।

वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत पशुजन्य उत्पादों का वर्ष 2010 से 2015–16

क्र. सं.	*वर्ष*	*दुग्ध उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)*			*अण्डा उत्पादन प्रति लाख*	*मांस उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)*	*ऊन उत्पादन हजार किग्रा0*
		गाय	*भैस*	*कुल दुग्ध उत्पादन*			
1	2010–11	71636	32.901	104.537	37.941	16.203	19.935
2	2011–12	73.096	32.946	106.042	40.650	15.574	19.963
3	2012–13	77.374	33.345	110.719	45.770	18.423	22.207
4	2013–14	79.634	36.155	115.789	53225	21.273	24.928
5	2014–15	81.122	32.101	113.223	66.021	22.160	25.545
6	2015–16	82.960	29.840	116.765	71.007	23.303	26.642